# साँगुरीगढी गाउँपालिकाको सत्रौ गाउँसभामा पेश भएको आगामी आ.ब. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम

**सभासदस्य ज्यूहरु**

१। राज्य पुनःसंरचना पछि नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु स्थापना भई क्रियासिल रहेको छ । नेपालका तीनै तहका सरकारहरुको एकल अधिकार र साझा अधिकारहरुको व्यवस्था नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानूनको अधीनमा रही **"कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, साँगुरीगढी समृद्धिको आधार"** भन्ने दूरदृष्टि को लक्ष्य प्राप्तिका लागि आ.व. ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँसभाको सत्रौं अधिवेशनमा प्रस्तुत् गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा अत्यन्तै हर्षित छु ।

२। नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४, कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा तथा नगरसभा संचालन ऐन, २०७५ प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्माण भएका विभिन्न नियम र कार्यविधिहरुको परिधि भित्र रही गाउँसभाको सत्रौं अधिवेशन गर्न गइरहेका छौं । यो खुसीको क्षणमा लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतृत्व गणहरुको योगदान हाम्रा लागि प्रेरणादायी मार्गदर्शन हुनेछ ।

३। राज्यको पुनःसंरचना पछि संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तको आधारमा समुचित विकासको बाटो पहिल्याउन संविधान, ऐन, कानून तथा नीतिको जगमा उभिएर गाउँपालिकालाई नीतिगत तथा संस्थागत विकासमा भएको आधारभूत सुधारले आगामी गन्तव्य प्रस्थानमा सहयोग गरेको छ ।

४। गाउँपालिकालाई प्राप्त सीमित श्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी सवै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तह र तप्काको मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरी गुणस्तरीय सेवा दिने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्न चाहन्छु । यस गाउँपालिकाको बजेटले सम्बोधन हुन नसक्ने योजनाहरुलाई संघीय सरकार, कोशी प्रदेश सरकार र अन्य निकायसँग प्रस्ताव गरी सम्वोधन गर्दै जानु पर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको छ ।

५। संघीय सरकारको "**सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपाली"** को राष्ट्रिय आकांक्षा, प्रदेश सरकारको **"स्वच्छ सुखी, र सम्मुन्नत प्रदेश"** को सपना सँगै **"कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, साँगुरीगढी सम्बृद्धिको आधार"** निर्माण गर्ने दुरदृष्टि तर्फको यात्रा बढीरहेको सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।

**सभासदस्य ज्यूहरु**

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि चालु आर्थिक वर्षसम्ममा गाउँपालिकाले हाँसिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी र चुनौतीहरुलाई संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।

६। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको यो मुलुकमा आम जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रही स्थानीय शान्ति, सम्बृद्धि, विकास, सुशासन, दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्दै स्थानीयबासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, मर्यादित जीवनस्तर, सभ्यता, सुशासन, र मानव पूँजी निर्माण उपयोग र परिचालन गरी समतामूलक समाज निर्माण, दीगो र दरिलो उत्पादन प्रणालीबाट सुख र सम्बृद्धिको सपना साकार पार्न कार्य गरी रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।

७। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको **"कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, साँगुरीगढी सम्बृद्धिको आधार"** पुरा गर्न व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय ऐन २४ वटा, प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी नियमावली, कार्यविधि निर्देशिका ४९ वटा निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । पहिलो आवधिक योजना निर्माण, डिजिटल प्रोफायल निर्माण, स्थितिपत्र निर्माण, राजस्व सुधार योजना निर्माण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, पहिलो भू-उपयोग योजना निर्माण, एम्बुलेन्स सेवा संचालन, सरसफाई केन्द्र निर्माणको थालनी र फोहोर संकलन कार्य, **खुवालुङ्ग-त्रिवेणी-भेडेटार-ध्वजेडाँडा फुट ट्रेल**को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी गरी निर्माण, कोशेली घर निर्माण, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुको ल्याव परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण, वस्तु तथा सेवा खरिदको तेस्रो पक्षीय मूल्याङ्कन जस्ता प्रशंसनीय कार्य भएका छन । साँगुरीगढी गाउँपालिकाको पर्यटन विकास गुरु योजना निर्माण गरिएको, भौतिक पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । राष्ट्रिय, प्रदेशिक आवधिक योजना, गाउँपालिकाको वार्षिक योजनाबाट विकासको अभियानलाई वाहिर जान नदिन, वित्तीय सुशासन र प्रभावकारिता कायम राख्न मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण गरिएको छ ।

८। चालु आ.ब. २०८१/०८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदानबाट डाँडाबजार याक्चाना सडक, चाँदीबजार दिलुङ्गटार सडक निर्माण, सडक बोर्डको लगानीमा कोल्बोटे धारापानी सडक स्तरोन्नती कार्य भएको छ । खुडी स्वास्थ्य चौकी, कुशेटार सेवा केन्द्रको निर्माण शुरुवात गरिएको, ल्याण्डफिल्ड साइडसम्म जाने सडकको निर्माण कार्य गरिएको, नोबेल अस्पताल तथा बि.एण्ड सी. अस्पतालको प्राविधकि सहयोगमा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन, गाउँपालिकाका कार्यरत चौथो तथा पाँचौ तहका कर्मचारीहरुलाई सेवाकालिन तालिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कलवलगुडीको सहकार्यमा संचालन गरिएको छ ।

९। योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई, स्थानीय बस्तुगत आवश्यकता, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी परिचालन गर्न आयोजनाको प्राथमिकीकरण स्थानीय योजना बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा दिग्दर्शन २०७८ बमोजिम गरिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताका बीच तादम्यता कायम गरी सु:खद र गुणस्तरीय नतिजा प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

१०। भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समानुपातिक र सन्तुलित तवरबाट प्रकृया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्थानीय रणनैतिक महत्वको सडक निर्माण, सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाह, सिंचाई कुलो निर्माण, खानेपानी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय पर्यटन प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा खुवालुङ्ग,-त्रिवेणी-ध्वजेडाँडा फुटट्रयाकको निर्माणले अझ सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

११। स्थानीय विपन्न र पिछडिएका जनता आवास कार्यकम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित तथा भूमिहीन नागरिकहरुको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका विपद् पीडितको स्थानन्तरणको प्रयास भईरहेको, सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई दिवाखाजामा गाउँपालिकाबाट थप गरी रु. २५ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

१२। सुशासन, पारदर्शिता र जनता प्रति जवाफदेहिताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खर्च सार्वजनिक, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, प्रगति विवरण वेवसाईटबाट सार्वजनिक गर्ने, योजनाको बोर्ड राख्ने, आमजनताको गुनासो तत्काल सम्वोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको छ ।

१३। कोशी प्रदेश सरकारबाट Tourism Village को क्षेत्रमा पर्यटनमा भएको संभावनालाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न निर्माण गरिएको पर्यटन गुरुयोजना आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१४। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र गरिवी निवारण गर्नु, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नु, स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिई दरिलो स्थानीय अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न, सामाजिक विभेदीकरणको अन्त्य गर्नु, वित्तीय अनुशासन पालना गर्नु, आयतमा आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमुखी वनाउनु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

**सभासदस्य ज्यूहरु**

१५। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, वित्तीय आयोग ऐन, २०७४ वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, स्थानीय तहको योजन तर्जूमा दिग्दर्शन, २०७८, आवधिक योजनाहरु, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले गरेको प्रतिवद्धता, दीगो विकासको लक्ष्य, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन,

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको क्षेत्रगत नीति, स्थानीय चुनावी घोषणा-पत्र, गाउँपालिकाले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, स्थानीय आवधिक योजनाहरुलाई गाउँपालिकाको सम्बृद्धिको गन्तव्य प्राप्तिका लागि निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमको मूलआधार मानिएको छ ।

१६। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको **"कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, साँगुरीगढी सम्बृद्धिको आधार"** दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न हालसम्म ७३ वटा स्थानीय कानून निर्माण, दशवटै वडाहरुबाट एकीकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था, दशवटै वडाहरुमा सडक संजालले जोड्नु रणनैतिक योजनाहरुको निर्धारण गरी निर्माण कार्यको थालनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाँडाबजारको X-Ray सेवा, आहाले र डाँडाबजारबाट एम्बूलेन्स सेवा संचालन आदि सम्झना लायक कार्य गर्दै गाउँसभाको सत्रौं अधिवेशनसम्म आई पुगेका छौं ।

**सभासदस्य ज्यूहरु**

अब, म आगामी वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मूल भागमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहान्छु ।

१७। संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, समपुरक, विशेष तथा शसर्त अनुदान एवं राजस्व वाँडफाँड वाट प्राप्त हुने रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमानित वजेट सीमाको अधीनमा आगामी आ.व. २०८२/०८३ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

१८। स्थानीय रणनेतिक महत्वको योजनाको रुपमा रहेको **खुवालुङ्ग-त्रिवेणी-भेडेटार-ध्वजेडाँडा पदमार्ग** चालु आ.ब. भित्र ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरी पर्यटनको काम अगाडी बढाइनेछ । स्थानीय रणनैतिक महत्वको यो पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्रसँग सहलगानी र सहकार्यमा निर्माण कार्य गरिनेछ ।

१९। प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको १७ अर्वका रुपान्तरणकारी रणनैतिक योजना निर्माणका लागि लगानीको सुनिश्चिता गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्रको सहभागिताको खोजी गरिनेछ । सरकारी क्षेत्रबाट लगानीका लागि अपुग हुने क्षेत्रमा लगानी जुटाउन स्थानीय कानून बमोजिम नीति लगानीकर्ताहरुलाई आमन्त्रण गर्न पालिकाको लगानी सम्मेलन गरिनेछ ।

२०। अव म, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम देहाय बमोजिम रहेकाले सम्मानित गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहान्छु ।

**क. आर्थिक विकास**

**कृषि तथा पशु विकास**

२१। स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताको प्रत्याभूतका लागि आवश्यक नीति योजना, तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वडाहरुमो कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा तुलनात्मक लाभ र कच्चा पदार्थको उपलब्धताको आधारमा "**लघु उद्यम"** स्थापना संचालनमा ल्याइनेछ।

२२। साँगुरीगढी गाउँपालिकालाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाई खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताको प्रत्याभूत गर्न कृषि नीति, दीर्घकालीन, मध्यकालीन अल्पकालीन कृषि विकास योजना तथा खाद्य सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ । गाउँपालिका भित्र कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर वनाई खाद्यन्न आयत प्रतिस्थापनमा सहयोग पुऱ्याउन पूँजी, प्रविधि, विऊ विजन, नश्ल सुधार कार्यमा अनुदानको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

२३। स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको "**कोशेली घर"** लाई किसान र बजारको **Forward-Backward Linkage** को माध्यम बनाउन प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनेछ।

२४। स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गर्न "**बाझो जमिनमा खेती"** गर्न कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय कृषि तथा पशु खेतीको व्यवसायिक उत्पादनलाई बढवा दिन "**कृषक वर्ष व्यक्ति"** घोषणा गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।

२५। स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तरलाई बढवा दिन दशवटै वडामा **घर-घरमा प्रविधिक सेवा** कार्यक्रम संचालनको व्यवस्था गरिनछे।

२६। कृषकहरुलाई विउ विजन, ओषधी, विषादी यन्त्र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुजन्य उत्पादन सम्बन्धी फर्महरुलाई सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा संचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

**उद्योग तथा बाणिज्य**

२७। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माणको नीति अन्तर्गत साँगुरीगढी- ५ ओखेमा प्रस्तावित **औद्योगिक ग्राम** संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादनमा सघाउ पुऱ्याउन **एक गाउँ एक उद्यम** को नीति अवलम्बन गरिनेछ।

२८। स्थानीय स्तरमा उद्यम स्थापना र संचालनका लागि स्थानीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा स्थापना हुने उद्योग, व्यवासायलाई प्रबर्द्धन गर्न प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

**पर्यटन विकास**

२९। स्थानीय पर्यटन विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि पर्यटन विकास नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पर्यटन गुरुयोजना परिमाजन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । पर्यटन विकासका क्षेत्रमा काम गर्न पर्यटन विकास वोर्ड गठन गरी क्रियासिल वनाइनेछ । पर्यटन प्रबर्द्धन तथा विकासका लागि भेडेटार बजारमा **SMART Tourist Information Center** स्थापना गरी संचालनम ल्याइनेछ ।

३०। स्थानीय स्तरमा सामुदायिक होमस्टेको प्रबर्द्धन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

३१। कोशी भ्रमण वर्ष २०८२ लाई सफल बनाउन विशेष पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

३२। पर्यटकको आगमनलाई बृद्धि गरी **Hold Days** बढाउन स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, ऐतिहासिक, मेला, उत्सव र पर्व मनाउन प्याकेज कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय धर्म संस्कृति, परम्परालाई पर्यटन प्रबर्द्धनसँग आबद्ध गर्ने नीति अगाडि बढाइनेछ । साहसिक पर्यटनको विकास गर्न स्काई वाक, ऱ्याफ्टीङ्ग क्यानोनिङ्ग, रक-क्लाइविङ्ग, प्याराग्लाडिङ्ग, बन्जिजम्पिङ्ग, साइक्लिङ्ग तथा केबल कारको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । पर्यापयर्टनको विकासका लागि हिलस्टेशन विकासको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न भेडेटार तथा नाम्जेलाई **बुटिक बजार**को रुपमा विकासका गरिनेछ । सागुरीगढी गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

**सहकारी**

३३। स्थानीय सरकारी ऐन, २०७५ को परिमार्जन तथा सुधार सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा रहेको सहकारी संस्थाहरुलाई थप प्रभावकारी र सक्रिया वनाईनेछ । सक्रिय तथा क्रियाशिल नभएको सहकारी संस्थालाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिनेछ। सहकारीहरुलाई व्यवस्थित वनाउने सहकारी सुद्धिकरणको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

३४। सहकारीहरुलाई वस्तुगत मापदण्डको आधारमा अनुदान, सहुलियत ऋण, प्रदान गरी उत्पादन र सेवामा बिबिधिकरण गरी बजारलाई जोड्ने कार्यको व्यवस्था मिलाई स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको एक प्रमुख रणनैतिक साझेदार खम्बाको रुपमा अगाडि बढाइने छ । गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सहकारीहरुलाई पुर्नगठन गरी वित्तीय संस्थाको रुपमा सक्रिय वनाइनेछ। स्थानीय कृषकहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ।

**स्थानीय राजस्व :**

३५। स्थानीय कर व्यवस्थापनको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कायान्वयन गरिनेछ । करको दर भन्दा दायरा विस्तार कर सिर्जनाको नीतिलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । स्थानीय करको दर र दायरा राजस्व संभाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा विस्तार गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेको व्यवसाय कर तथा वहाल कर थप प्रभावकारी वनाउन स्व-घोषणाको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३६। स्थानीय उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा उद्यम व्यवसाय दर्ता नवीकरणलाई अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ । स्थानीय बजार अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी वनाईनेछ । स्थानीय व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयलाई थप सक्रिय तथा प्रभावकारी वनाइनेछ ।

**वित्तीय क्षेत्रः**

३७। स्थानीय स्तरमा क्रियासिल लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थानीय कानूनको दायरामा ल्याइनेछ । समुदायस्तरमा बैंङ्कि क्षेत्रको सुविधा प्राप्तिका लागि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय स्तरमा प्राप्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सेवा केन्द्र, स्थापना, शाखा विस्तार, मोवाइल सेवा प्रवाहको लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरिनेछ ।

**ख. सामाजिक विकास तर्फ**

**स्वास्थ्य तथा जनसंख्या**

३८। आहाले महाभारत क्षेत्रको स्थानीय नागरिकहरुलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरी निर्माण कार्यको प्रयास गरिनेछ ।

३९। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्दै नतिजामा आधारित अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ । दलित तथा स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको **"स्वास्थ्य विमा"** कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्थानीय नागरिकहरुको स्वास्थ्य माथिको पँहच बृद्धि गर्दै सुलभ रुपमा औषधी आपूर्ति गर्न क्रमशः स्वास्थ्य संस्थाहरुमा **सुलभ फार्मेशी** संचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यस गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित भएको पालिका घोषणा भईसकेको कारण उक्त पुर्णखोपलाई दीगो रुपमा कायम गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिनेछ ।

४०। महिला प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या आङ खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर रोगको उपचार तथा रोकथामका लागि "**रोगबाट बाचौं र बचाउँ"** अभियान संचालन गरिनेछ । सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वाथ्य सुरक्षाका लागि **सुत्केरी भेटघाट** कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

४१। स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धीको हक सुरक्षित गर्नका संचालन गरिएको **डिजिटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन** सेवा संचालन तथा एम्बूलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ।

४२। भेडेटार स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापनाका साथै २४ घण्टे स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी स्तरोन्नती गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ।

**महिला बालबालिका, युवा, जेष्ठ नागरिक तथा लैंगिक समानता**

४३। कानूनले प्रतिबन्धित गरेको वाल विवाह, वहु विवाह तथा लैंगिक विभेद अन्तर्गतका जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। एकल महिलाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाई, दलित, एकल तथा विधवा महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्न **उपाध्यक्ष आयआर्जन** कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

४४। बालमैत्री स्थानीय शासनको नीति कार्यान्वयन गर्न आगामी आ.व. ०८२/०८३ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि बालबालिकाको प्रोफाइल तयार गरी बालमैत्रीका सूचकहरुको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न प्रत्येक वडामा बाल क्लवहरु गठन गरी वडा तथा पालिका स्तरीय सञ्जालहरुलाई क्रियाशिल बनाइनेछ। एकवडा एक बाल उद्ययनको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

४५। जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग सहारा विहीन नागरिकहरुको संरक्षणका लागि अन्य सस्थाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा गरिनेछ। जेष्ठ नागरिहरुको अनुभव आदनप्रदानका लागि **"ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम"** लाई निरन्तरता दिइनेछ।

४६। प्रदेश सरकारको सहकार्य र सह लगानीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

**आदिवासी/जनजाति तथा अन्य समूदाय**

४७। आदिवासी/जनजाति समूदायको हक सुरक्षितका लागि आदिवासी/जनजाति समनवय परिषद गठन गरी क्रियासिल वनाइनेछ। स्थानीय जातजातिको ऐतिहासिक तथा जातीय पहिचान झल्काउने स्थानीय संग्राहलय निर्माणका लागि प्रयत्न गरिनेछ।

४८। दलित वर्गको उत्थानको लागि **दलित आयआर्जन** कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। स्थानीय माझी समुदायको उत्थानको **माझी उत्थान** कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

**युवा तथा खेलकुद**

४९। स्थानीय बेरोगजार युवाहरुलाई उद्यमशील रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न **युवा उद्यमलिता** कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

५०। खेलकुदको दीगो व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न **कभर्डहल** निर्माण गरिनेछ । भेडेटार बजारमा बहुउदेश्यीय पार्किङ सहितको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एवं सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गरिनेछ । एक वडा एक खेल मैदान नीतिलाई अगाडि बढाइनेछ ।

५१। राष्ट्रियस्तर तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुदमा पदक जित्ने स्थानीय खेलाडीहरुलाई उचित सम्मान तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ । दशवटै वडाहरुमा खेलकुद प्रशिक्षणको नीति अवलम्बन गरिनेछ । बालबालिहरुलाई खेलकुद क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि ग्रासरुट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

५२। खेलकुद क्षेत्रको एकीकृत विकासको रणनैतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । स्थानीय खेलकुद वोर्ड गठन गरी सक्रिया वनाइनेछ । स्थानीय खेलकुद क्लव तथा संस्था दर्ता प्रक्रिया अगाडि वढाइनेछ ।

**सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्था**

५३। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सन्चालन हुने सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाको योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमन र एकरुपता हासिल गर्नका लागि गै.स.स.डेक्स स्थापना गरिनेछ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व अनिवार्य रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

५४। गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रमको अनुमति दिंदा विकास र चेतनाको दृष्टिले पछि परेका वडा, क्षेत्रहरुमा समन्वय गरी कार्यक्रम सन्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गाउपालिकास्तरमा जनचेतनामूलक, रोजगारमूलक, सन्देशमूलक तालिमहरु सहकार्यमा सन्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

**खानेपानी तर्फ**

५५। साँगुरीढी गाउँपालिका भित्र खानेपानीको दीगो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ । मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खानेपानीको स्रोत संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ, । नयाँ स्रोत वा मुहानको खोजी गर्ने, विभिन्न स्थानका खानेपानीको संरक्षण र मर्मत गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन बजेटको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

५६। खानेपानी स्रोत नभएको स्थानहरु र नयाँ बजार केन्द्रहरुमा खानेपानीको सुनिश्चिताका लागि लिफ्टिङ्ग, डिपबोरिङ्ग खानेपानीको संभाब्यता अध्ययन गरिनेछ । खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रहरुको खानेपानी समस्या सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजी गरिनेछ ।

**शिक्षा**

५७। गाउँ शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नियमावली, कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन अभिभावक अनुशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार सम्बन्धी अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम, उत्कृष्ठ शिक्षक सम्मान कार्यक्रम, उत्कृष्ठ विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम, विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन, विद्यालयमा ICT व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५८। पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्दै अतिरिक्त क्रियाकलापहरुलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय भवन तथा खेलमैदान निर्माण कार्य गर्दै लगिनेछ। शिक्षण सिकाई तथा विद्यार्थी उत्तीर्ण परिणामलाई नतिजामूलक वनाउन कार्य सम्पादन करार सम्झौता लागू गरी प्रोत्साहनको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र उत्तम नतिजा प्राप्त गर्न सफल विद्यालय र शिक्षकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरिने छ।

५९। शिक्षण सिकाई पद्दतिलाई प्रविधिमैत्री वनाउन स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन तथा संचालनलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने छ। विद्यालयहरुको तथ्यतथ्याङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न तथ्याङ्क सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थापन गरिने छ।

६०। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाउने स्थानीय विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिने छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरुका सुलभ शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था मिलाउँदै लगिने छ।

६१। कुनै पनि वालवालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चित नहुन भनी अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिने छ। विद्यालय छोड्ने बालबालिका दरलाई घटाइ पोषण कार्यलाई सहयोग गर्न **थप दिवा खाजा** कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

६२। विद्यालयका पठनपाठन कार्यलाई प्रतिष्पर्धी, व्यवसायिक, तुलनायोग्य र अन्तराष्ट्रियस्तरको वनाउन सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

६३। आधारभूत तर्फ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नमूना आधारभूत विद्यालय निर्माण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। वि.सं. २०८२ को शैक्षिक क्यालेण्डरमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनि निर्णय भईसकेको हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको पुस्तक तयार गरी पठनपाठन कार्य शुचारु गरिनेछ।

६४। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षा प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि छात्रबृत्तिको ब्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुको छनौट विद्यालयको तहको आधारमा छनौटको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

६५। साँगुरीगढी गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि प्रत्येक विद्यालयमा Rest Room को व्यवस्था गरिनेछ।

## ग. पूर्वाधार विकास

**सडक**

६६। स्थानीय रणनैतिक सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइनेछ । नयाँ सडक निर्माण कार्यलाई निरुत्साहित गरी सडक स्तरोन्नतीको नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायमका लागि ल्याव स्थापना भईसकेको हुँदा आगामी आ.ब. देखि परीक्षण कार्यलाई सुचारु गरिनेछ ।

६७। गाउँपालिकाबाट संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत उपभोक्ताको नगद लागत सहभागिता वा जनश्रमदानबाट संचालन गर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । स्ट्रक्चरका आयोजना वा ठूला मेशिन प्रयोग हुने वा उपभोक्ताको जनश्रमदानबाट सन्चालन हुन नसक्ने जटिल प्रकृतिका कार्यहरु उपभोक्ता मार्फत आयोजना सन्चालन गरिने छैन । उपभोक्ताबाट सन्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको व्यवस्थाका लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाईनेछ ।

६८। गाउँपालिकाको यातायात गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । यातायात गुरुयोजना निर्माण भए पश्चात गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण सडक तथा बाटोहरुको **Right Of way** निर्धारण भइ दीर्घकालीन रुपमा वस्तीको विकास र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सडक निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सडक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरुको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भईसकेको हुँदा गाउँपालिकाले सडकका नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गरिने नीति लिइनेछ ।

६९। स्थानीय सडक निर्माण र विस्तार कार्यलाई ब्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाको स्थानीय सडक सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७०। उपभोक्ता समितिबाट संचालन गरिने आयोजनाहरु संचालन गर्दा २० लाख वा सो भन्दा बढी बजेटका आयोजनाहरुमा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागु गरिनेछ । साथै पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय संरक्षणको कार्यलाई प्राविधिक लागत अनुमानमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

**भवन**

७१। स्थानीय भवन निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७७ भन्दा अगाडि निर्माण भएका भवन तथा संरचनाहरुको अभिलेखीकरण कार्य शुरु गरिनेछ । साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्रको भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सडकको मादण्ड पूर्ण रुपमा लागू गरिनेछ । साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका घरधुरीहरुको घर नं. कायम गरी घरको एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन कार्यको थालनी गरिनेछ । घरनक्सा पासको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

**सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल**

७२। साँगुरीगढी गाउँपालिका र आसपासका स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लासँगको आवगमन तथा व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउन रणनैतिक महत्वको स्थानहरुको पहिचान गरी सडक पुल (मोटरेवल) तथा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुको वस्ती जोड्ने क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ ।

**सिँचाई**

७३। कृषि पेशाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई व्यवसायिकरण र विविधीकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सिचाई कुलो निर्माण कार्यलाई थप विस्तार र सुधार गर्दै लगिने छ । पर्याप्त सिंचाईको स्रोत नभएको ठाउँहरुको किसानहरुलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन साना सिंचाई, थोपा सिँचाई, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

**ऊर्जा, लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जा**

७४। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण घरधुरीहरुलाई विद्युत सेवा उलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । विद्युत सेवा तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने स्थानहरुका लागि बैकल्पिक ऊर्जा सोलार बत्ती ,सोलार टुकीको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय नागरिकहरुको जंगल माथिको दवाव (दाउरा) घटाउने बिद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

**सञ्चार**

७५। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचार क्षेत्रको प्रर्बद्धन र विकास लागि ठूला संचार गृहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ । स्थानीय स्तरमा प्रेस गृह, मिडिया सेन्टर, टेलि सूचना केन्द्र स्थापना र संचालनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ । साथै स्थानीय संचार नीति बनाई लागु गरिनेछ ।

७६। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विकासात्मक गतिविधिलाई आम नागरिक समक्ष पुऱ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संचार गृह र संचारकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन सहित सम्मान कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ ।

## ग. बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

### वन तथा भूसंरक्षण

७७। वन,संरक्षण तथा प्रबर्द्धनका लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। “**एक व्यक्ति, एक विरुवा”** रोपन कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वनहरुमा **जंगल पार्क**को अवधारण लागू गरी स्थानीय आय स्रोत बृद्धिको नीति लिइनेछ।

७८। वन फडानी, आगलागी आदि कार्यलाई नियन्त्रण गर्न दण्ड जरिवानालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा वन उपभोक्ता समितिलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाईनेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र वन उपभोक्ताहरुलाई वन संरक्षण सम्वन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न सम्वद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने गरी नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

### जलाधार संरक्षण तथा जल वायु परिर्वतन

७९। जलवायु परिवर्तनका कारण जलाधार क्षेत्रमा परेका प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै पानीको मुहानहरु संरक्षण गर्ने कार्यलाई स्थानीय समुदायको अगुवाइमा अगाडि बढाइने छ। पानीको मुहान आसपास जंगल फडानी गर्न रोक लाउने र खाली भएको स्थानमा मुहान वरिपरी विरुवा लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

८०। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असरको बारेमा आम नागरिकहरुलाई सचेतीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका योजना, रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको थालनी गरिनेछ।

### फोहरमैला व्यवस्थापन

८१। साँगुरीगढी गाउँपालिकामा नया बस्ती विस्तारसँगै फोहरमैला व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा देखा परेको सन्दर्भमा फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । घरको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न तालिम व्यवस्था गरिनेछ। कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै फोहोर संकलन गरी कुहिने फोहोरलाई घरमै संकलन गरी व्यवस्थापन गर्न सचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षणका लागि क्षेत्रभित्र सरोकारवालको सहभागितामा प्लाष्टिक निषेधित अभियान संचालन गरिनेछ।

८२। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका बजार केन्द्र तथा टोलवस्तीहरुलाई सफा सुन्दर राख्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ”**सुन्दर शहर, तपाईं हाम्रो रहर”** अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

८३। गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरुलाई स्थानीय संघ संस्था तथा समुदायबाटै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

**जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण**

८४। लेउती खोला, तमोर नदी आदि खोलामा बाढी आई धनजनको क्षति सालबसाली हुँदै आएकोमा सरोकारवाला निकायहरु सँगको सहकार्यमा बाढी पहिरोको क्षति रोकथामका लागि तटबन्द कार्य अगाडि बढाइने छ ।

**विपद व्यवस्थापन**

८५। गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आईपर्ने विपद्लाई सामना गर्न गाउँपालिका स्तरीय विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । गाउँपालिका स्तरीय तथा वडास्तरीय विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी गाउँस्तरीय र वडास्तरीय विपद् समितिलाई सक्रीय वनाइनेछ । गाउँ विपद व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल बनाई विपदको समयमा उद्धार गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वल नेपालसँग समन्वय गरी आसपासका वडाहरुमा युवा जनशक्तिलाई विपद् पूर्वतयारी र उद्धार सम्बन्धी तालिमको ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

८६। विपद्मा परेका आम नागरिकहरुलाई तत्काल उद्धार, राहत, तथा पुनःस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत उद्दार र राहत पुऱ्याउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनेछ ।

८७। साँगुरीगढी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आगलागीबाट हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि फायर ब्रिगेड, दमकल जस्ता साधन ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

**घ. संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन**

**सेवा प्रवाह**

८८। कर्मचारीहरुलाई आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार बनाउने र सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गरी मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह अनिवार्य बनाउन आचरण सम्बन्धी स्थानीय कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

८९। कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार र सेवाग्राहीमैत्री वनाउदै अपेक्षित नतिजा प्राप्तिका लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता लागू गरिने छ । कार्यसम्पादन करारको आधारमा भएको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनेछ । छरितो संगठन संरचना निर्माण र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि Right Man Right Place, Right Sizing & Reformation को नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

९०। सेवा प्रवाहलाई नतिजामूलक र प्रविधिमैत्री वनाउन कर्मचारीको क्षमता विकासलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९१। स्थानीय न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी वनाउन मेलमिलाप केन्द्र तथा वडा कार्यालयहरुलाई सवलीकरण गरिनेछ ।

**सुरक्षा व्यवस्थान**

९२। गाउँपालिकाको आन्तरिक सुरक्षालाई ब्यवस्थित गर्दै बजार अनुगमन, स्थानीय कर ब्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोवासलाई समेत व्यवस्थित गर्न नगर प्रहरी परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक सुरक्षालाई आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी वनाउन कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार वनाइनेछ ।

**सूचना प्रविधि**

९३। विद्युतीय सुशासनलाई प्रबर्द्धन गर्न "**डिजिटल भिलेज"** निर्माणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । भेडेटार बजारमा सूचना प्रविधि पार्कको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

९४। गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पेपरलेस गभरनेन्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न योजना, लेखा, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी प्रशासन तथा राजश्व प्रशासन सम्बन्धी सफ्टेवर मार्फत संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

**पञ्जीकरण**

९५। गाँउपालिकामा घटेका जन्म, मृत्यू, विवाह,वसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता घटनाहरुको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नको घटना घटेको ३५ दिन भित्रमा दर्ता गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

**स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख ब्यवस्थापन**

९६। विकास नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन आवधिक योजना निर्माण गरी **योजना वैंक**को नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । सूचना तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । गाउँपालिका गतिविधि तथा अभिलेख ब्यवस्थित गर्न सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याइनेछ । सूचना केन्द्रमा गाउँपालिकाबाट निर्माण भएको स्थानीय कानूनहरु, प्रगति विवरणहरु, बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु र अन्य सार्वजनिक सरोकारको सूचनाहरुको अध्यावधिक गरी राखिनेछ ।

**सुशासन प्रबर्द्धन :**

९७। गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय हाजिरी, हेल्प डेस्क, गुनासो पेटिका, नागरिक विद्युतीय वडापत्र, जस्ता सुशासनका औजारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।

९८। गाउँपालिकालाई बढी उत्तरदायी, जनमैत्री, पारदर्शी सेवा प्रवाहकोका लागि स्थानीय सुशासन ऐन, २०७९ सार्वजनिक जावफदेहिता कार्यविधि, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । संविधानले दिएको एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा स्थानीय कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

९९। गाउँपालिकाबाट हुने काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी वनाउन र आम जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति लिइनेछ ।

१००। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो वनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न जम्मेवारी बाँडफाँड, अधिकार प्रत्योजन, अख्तियारी प्रदान, पूर्व लेखापरीक्षण, खरिद इकाई निर्माण, नियमित प्रगति समीक्षा तथा प्रणालीगत कार्यान्वयन प्रक्रिया अलम्बलन गरिनेछ । साँगुरगढी गाउँपालिकाको बेरुजु शुन्य सहनसिलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सार्वजनिक लेखा समिति र आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखालाई सबलीकरण गरी सक्रिय वनाइनेछ ।

**<u>अनुसन्धान तथा विकास</u>**

१०१। सम्मृद्ध साँगुरीगढी सुःखी साँगुरीगढीबासीको सपनालाई तीव्र रुपमा स्थानीय स्तरमा विकासका गतिविधि संचालन गर्न अपरिहार्य छ । स्थानीय विकासलाई गति दिन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरु, विकासका साझेदार निकाय तथा आम नागरिकको सहभागितामा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन **"सधैं सवैं सँगै** अभियान संचालन गरिनेछ ।

१०२। विकासका गतिविधिलाई व्यस्थित, नतिजामूलक, नागरिकमैत्री वनाउन दीर्घकालीन विकास अवधारण पेपर तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विकासका नयाँ प्रविधि, संभावना तथा विकल्पहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइनेछ ।

**सभासदस्य ज्यूहरु**

**<u>सार्वजनिक महत्वको विषयः</u>**

१०३। योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा लागत सूचक, प्रतिफल सूचक, प्रभावकारी सूचकको आधारमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम अनुमगन गर्दा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अनुगमन प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरुलाई कडाएको साथ लागू गरिनेछ । गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुको नतिजामा आधारित अनुमगन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक कार्यविधि, निर्माण गरिने छ ।

१०४। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण ऐलानी, पर्ति, सार्वजनिक पोखरी आदिको अभिलेख राखी सार्वजनिक गरिनेछ । त्यस्ता क्षेत्रहरुको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सार्वजनिक हित हुने गरी उपयोग तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान दिइनेछ ।

१०५। गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका पार्क, पाटी, पौवा, चौतारा, मठ,मन्दिर, बौद्ध, विहार, गुम्वा, चर्च, धारा, कुवा आदिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०६। गाउँपालिका क्षेत्र भित्र वर्षौदेखि वसोवास गर्दै आएका दलित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्वासीहरु र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउन र जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगको सहकार्यमा पहल गरिनेछ ।

१०७। साँगुरीगढी गाउँपालिकामा अव्यवस्थित वसोवास गरेका नागरिकहरुको घरधुरी विवरण यकीन गरी घरधुरी अभिलेख राख्ने कार्य अगाडि वढाइनेछ ।

१०८। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गाँजा खेतीको औषधीजन्य, र अन्य प्रयोगको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही व्यवायिकरण गरिनेछ ।

१०९। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वस्तीस्तरसम्म संगठन निर्माण गरी विकास निर्माण, सामाजिक तथा सास्कृतिक सुधार, वातावरण संरक्षण जस्ता कार्यमा परिचालन गर्ने गरी टोल विकास संस्था निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ ।

**सभासदस्य ज्यूहरु**

११०। यो नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धि साँगुरीगढीको दुरदृष्टिलाई आत्मसाथ गरेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले स्थानीय कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणले स्थानीय उत्पदन र उत्पादकत्व बढ्न गइ दरिलो स्थानीय अर्थ व्यवस्था निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । सामाजिक विकास, शिक्षा विकास, समावेशी विकास, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन भइ सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ ।

१११। स्थानीय उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्ने यो नीति तथा कार्यक्रम साझा सहती र प्रतिबद्धताबाट मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता तथा औचित्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबैको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वस लिएको छु ।

११२। अन्त्यमा, साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनैतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, नागरिक समाज, व्यवसायी, आम नागरिक, आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

*धन्यवाद*

२०८२ आषाढ १० गते — जितेन्द्र राई

साँगुरीगढी गाउँपालिका, भेडटार — अध्यक्ष

*सम्बत साल २०८२ को विधेयक संख्या- १*

# साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८२

**प्रस्तावना :**

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर, संकलन गर्ने, छुट दिने र स्थानीय कर प्रशासन व्यवस्थापन गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम साँगुरीगढी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

*परिच्छेद- १*

## प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** :(१) यस विधेयकको नाम "साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२" रहेकोछ ।

२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पारित भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्र लागू हुनेछ ।

*परिच्छेद- २*

## कर, शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था

२. **सम्पति कर**: साँगुरीगढी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची- १ बमोजिमको सम्पति कर निर्धारण गरी अशुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत**) : साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची- २ बमोजिम भूमि कर ( मालपोत) निर्धारण गरी अशुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

४. **घर बहाल कर** : (१) साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची- ३ बमोजिम मासिक रुपमा हुने वहाल रकमको १० प्रतिशतले वहाल कर असुल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बहाल कर असुलीका लागि भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरी न्यूनतम बहालको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(३) वहाल सम्झौता वा सो नभएमा पक्षले गरेको स्वघोषणाका आधारमा बहाल कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

५. **व्यवसाय कर** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची- ४ बमोजिम व्यवसाय कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर**: साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटि, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला, जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची- ५ बमोजिमको कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

७. **सवारी साधन कर** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची- ६ बमोजिम सवारी साधन कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

८. **विज्ञापन कर** : (१) साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसची- ७ बमोजिम विज्ञापन कर निर्धारण असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर संकलन सम्बन्धी संघीय वा प्रदेश कानून स्वीकृत भई अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर :** (१) साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची- ८ बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापनि मनोरञ्जन करको विषयमा संघीय वा प्रदेश कानूनमा अन्य व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क** : (१) साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची- ९ मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पर्ती ऐलानी जग्गा, हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

११. **पार्कीङ शुल्क** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची- १० बमोजिम पार्कीङ शुल्क निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

१२. **प्रवेश शुल्क** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ, क्यान्योइङ्ग, बन्जीजम्पिङ्ग, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूची- ११ बमोजिम शुल्क निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

१३. **सेवा शुल्क, दस्तुर** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची- १२ बमोजिम स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

१४. **पर्यटन शुल्क** : साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहबाट अनुसुची- १३ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१५. **बिक्री तथा निकासी शुल्क** : सागुँरीगढी गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलबाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा, आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य, वस्तुहको विक्री गर्न सक्नेछ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन भइ सीमाक्षेत्र बाहिर निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाह्य निकासीमा अनुसूची- १४ बमोजिमको दरमा बिक्री तथा निकासी शुल्क असुल गर्नु पर्नेछ ।

*परिच्छेद- ३*

## कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था

१६. **कर व्यवस्थापन कार्यबिधि** : (१) यो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर, शुल्क, दस्तुर संकलन सम्बन्धी कार्य साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आय ठेक्का व्यवस्थापन (कार्यविधि) ऐन, २०७९ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाहेको विषयमा कर संकलन कार्यविधि साँगुरीगढी गाउँपालिकाले निर्धारण गरेबमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापनि एकमुष्ठ रुपम आय व्यवस्थापन गर्न नसकिने किमिसिमका नियति असुल गर्ने कर, दस्तुर, शुल्क विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरुबाट संकलन गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम संकलन गरेको कर, दस्तुर, शुल्क बढीमा सात दिन भित्र अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

१७. **कर छुट** : (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिन पाइने छैन ।

(२) उपदफदा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि औचित्यपूर्ण कारण र आधारमा स्थानीय, शुल्क, जरिवाना, दस्तुर आदि छुट दिन सक्नेछ ।

(३) यस ऐनमाा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि आय ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा निर्माण व्यवसायी, फर्म वा कम्पनी वा आय संकलन गरी बुझाउने जिम्मेवारी प्राप्त कम्पनी फर्म वा पक्षले कबोल अङ्क एकमुष्ठ रकम बुझाएमा कुल कवोल अङ्कको दश प्रतिशत छुट दिन सकिनेछ ।

१८. **दण्ड र जरिवाना** : यस ऐनमा भएको व्यवस्था पालना नभएमा अनुसूची- १५ बमोजिम दण्ड र जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।

१९. **करको दर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था** : (१) यस ऐनले निर्धारण गरेको कर, दस्तुर वा शुल्को दर र प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको स्थानीय कर, दस्तुर, शुल्कको दरहरु फरक परेमा बढी रहेको दर बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क असुली गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय कर, दस्तुर वा शुल्क संकलन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी संकलन गर्नु पर्नेछ ।

२०. **विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) साझा अधिकार क्षेत्र भित्रको कर संकलन प्रचालित कानून बमोजिम संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको राजस्व वा कर प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको दर वा प्रतिशतको आधारमा अन्तर सरकार वा अन्तर स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।

२१. **सहकार्यमा कर संकलन गर्न सकिने** : (१) यस ऐन बमोजिम कर संकलन गर्दा अन्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकोमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आपसी समझदारीमा एकल कर संकलन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संकलन गरिएको कर वा राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गरी प्रचलित कानून वा सम्झौताको अधीनमा रही बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक संकलन विधिबाट कर संकलन गर्न कठिन, खर्चिलो हुने, सेवाप्रदायक वा समुदायको संलग्नतामा कर संकलन गर्दा प्रभावकारी हुने भएमा औचित्य तथा प्रभावकारिताको आधारमा त्यस्तो सेवा प्रदायक वा समुदायको सहकार्यमा कर तथा राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ ।

२२. **नगर प्रहरी पारिचालन** : यस ऐन बमोजिम कर वा राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित वनाउन नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिनेछ ।

*परिच्छेद- ४*

## विविध

२३. **नियम वा कार्यविधि** : (१) यस ऐनको उदेश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नियम, वा कार्यविधि वा मापदण्ड वनाउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम, कार्यविधि वा मादण्ड निर्माण गर्दा यस ऐनको मूल व्यवस्था प्रतिकुल हुन गरी निर्माण गर्न पाइने छैन ।

२४. **बाधा अड्काउ फूकाउ** : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै वाधा आइपरेमा कार्यपालिकामा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार रहनेछ ।

२५. **खारेजी र बचाउ** : (१) यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम भएको र यस ऐनमा नभएको कर सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भए सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) यस अघि भएको स्थानीय कर, दस्तुर, शुल्क आदि यसै ऐन बमोजिम संकलन भएको मानिनेछ ।

*अनुसूची- १*
(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**जग्गा मूल्याङ्कनको दर**

| साविकका वडा | आ.व. २०८१/०८२ (प्रति रोपनी रु. ) | | | आ.व. २०८३/०८३ (प्रति रोपनी रु. ) | | | हालको वाड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यवसायिक क्षेत्र | आवसीय क्षेत्र | कृषि क्षेत्र | व्यवसायिक क्षेत्र | आवसीय क्षेत्र | कृषि क्षेत्र | |
| १ | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | १ |
| ६ | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | १ |
| ७ | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | १ |
| ८ | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | १ |
| २ | १ लाख ५० हजार | १ लाख | ५० हजार | १ लाख ५० हजार | १ लाख | ५० हजार | २ |
| ३ | २ लाख | १ लाख | ५० हजार | २ लाख | १ लाख | ५० हजार | २ |
| ४ | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २ लाख | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २ |
| ५ | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | ३ लाख | २ लाख | ५० हजार | २ |
| ९ | १ लाख ५० हजार | १ लाख | ५० हजार | १ लाख ५० हजार | १ लाख | ५० हजार | २ |
| १ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| २ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ३ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ४ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ५ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ६ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ७ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ८ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| ९ | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ४० हजार | ३० हजार | २० हजार | ३ |
| १ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| २ | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | ४ |
| ३ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| ४ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| ६ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| ७ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| ८ | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ८० हजार | ४० हजार | २० हजार | ४ |
| ९ | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | ४ |
| १ | १२ लाख | १ लाख ५० हजार | ३० हजार | १२ लाख | १ लाख ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| २ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ३ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ४ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ५ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ६ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ७ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ८ | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | १ लाख | ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| ९ | ८ लाख | १ लाख ५० हजार | ३० हजार | ८ लाख | १ लाख ५० हजार | ३० हजार | ५ |
| १ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| २ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ३ | २ लाख ५० हजार | १ लाख | २५ हजार | २ लाख ५० हजार | १ लाख | २५ हजार | ६ |
| ४ | ५ लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ५ लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ५ | ३५ लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ३५ लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ६ | २० लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | २० लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ७ | २० लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | २० लाख | १ लाख ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ८ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| ९ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | ६ |
| १ | २ लाख | ८० हजार | २० हजार | २ लाख | ८० हजार | २० हजार | ७ |
| २ | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | ७ |
| ३ | १ लाख | ४० हजार | २० हजार | १ लाख | ४० हजार | २० हजार | ७ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | १ लाख | ५० हजार | २० हजार | ७ |
| ५ | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | ८ |
| ६ | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २५ हजार | ८ |
| ७ | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | ८ |
| ८ | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २० हजार | ८ |
| ९ | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख ५० हजार | ५० हजार | २५ हजार | ८ |
| ३ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | ९ |
| ५ | ७५ हजार | ४० हजार | २० हजार | ७५ हजार | ४० हजार | २० हजार | ९ |
| ६ | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | ९ |
| ७ | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | ९ |
| ८ | ७५ हजार | ४० हजार | २० हजार | ७५ हजार | ४० हजार | २० हजार | ९ |
| १ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १० |
| २ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १० |
| ४ | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १ लाख | ५० हजार | २५ हजार | १० |
| ९ | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | १ लाख २० हजार | ६० हजार | २५ हजार | १० |

*अनुसूची- १ ख*

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि संरचना मुल्यांकनको आधार**

| सि.नं. | राजस्वका क्षेत्रहरु | व्यापारिक/आवासीय/ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति वर्ग फिट वार्षिक रु | |
|---|---|---|---|
| | घरको प्रकार | आ.व. ०८१।०८२ | आ.व. २०८२।०८३ |
| 1 | आर.सी.सी घर | १ | १ |
| 2 | सिमेन्टको जोडाइमा इटा वा ढुङ्गाको भारबहन क्षमता भएको गाह्रो भएको घर | ०.५ | ०.५ |
| 3 | सिमेन्ट जोडाइमा इटा वा ढुङ्गाको गाह्रो भएको जस्ता वा टालीको छाना भएको घर | ०.५ | ०.५ |
| 4 | ढुङ्गा माटोको गाह्रो भएको टिनको छाना भएको घर | ०.२५ | ०.२५ |
| 5 | ढुङ्गा माटोको गाह्रो भएको टिनको फुसको छाना भएको घर | ०.२५ | ०.२५ |
| 6 | काठको खम्बा र इटाले घेरेको जस्ता वा टालीको छाना भएको घर | ०.२५ | ०.२५ |
| 7 | काठै काठबाट बनेको जस्ताको छाना भएको घर | ०.२५ | ०.२५ |
| 8 | बासको बेरा भएको टिन वा टाली वा खरको खरको छाना भएको घर | ०.२५ | ०.२५ |
| 9 | ढुङ्गा वा इटाको पर्खाल प्रति रनिङ्गफिट | ०.२५ | ०.२५ |

*अनुसूची- २*

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

**मालपोत वा भुमि कर**

| देखि | सम्म | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १५ लाख | १५० | १५० | न्यूनतम |
| १५ लाख माथि | २५ लाख | १०० | १०० | थप |
| २५ लाख माथि | ३५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ३५ लाख माथि | ४५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ४५ लाख माथि | ५५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ५५ लाख माथि | ६५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ६५ लाख माथि | ७५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ७५ लाख माथि | ८५ लाख | १०० | १०० | थप |
| ८५ लाख माथि | १ करोड | १५० | १५० | थप |
| १ करोड माथि | १ करोड २५ लाख | २५० | २५० | थप |
| १ करोड २५ लाख माथि | १ करोड ५० लाख | २५० | २५० | थप |
| १ करोड ५० लाख माथि | १ करोड ७५ लाख | २५० | २५० | थप |
| १ करोड ७५ लाख माथि | २ करोड | २५० | २५० | थप |
| २ करोड माथि | २ करोड ५० लाख | ५०० | ५०० | थप |
| २ करोड ५० लाख माथि | ३ करोड | ५०० | ५०० | थप |
| ३ करोड माथि | ३ करोड ५० लाख | ५०० | ५०० | थप |
| ३ करोड ५० लाख माथि | ४ करोड | ५०० | ५०० | थप |
| ४ करोड माथि | ४ करोड ५० लाख | ५०० | ५०० | थप |
| ४ करोड ५० लाख माथि | ५ करोड | ५०० | ५०० | थप |
| ५ करोड माथि | | १००० | १००० | थप |

*अनुसूची- ३*

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

घर वहाल कर

| | घरवहाल कर | दर | कैफयत |
|---|---|---|---|
| 1 | गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा | १० प्रतिशत | |

*अनुसूची- ४*

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

**व्यवसाय कर (दर्ता तथा नवीकरण शूल्क)**

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्र | आ.व. २०८१।०८२ को दर | | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| | | करको दर | श्रेणी | | |
| १ | खूद्रा किराना पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ८०० | ख श्रेणी | ८०० | |
| | | ६०० | ग श्रेणी | ६०० | |
| २ | थोक किराना पसल | २००० | | २००० | |
| ३ | चिया नास्ता पसल | ६०० | क श्रेणी | ६०० | |
| | | ४०० | ख श्रेणी | ४०० | |
| ४ | मासू पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ५ | होटल एण्ड लज | १०००० | स्टार होटल | १०००० | |
| | | ४५०० | १० कोठा माथिको | ४५०० | |
| | | ४००० | १० कोठा सम्मको | ४००० | |
| ६ | होटल तथा रेष्टूरेण्ट | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १५०० | ख श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ग श्रेणी | १००० | |
| ७ | रिसोर्ट | ४००० | क श्रेणी | ४००० | |
| | | ३००० | ख श्रेणी | ३००० | |
| | | १५०० | ग श्रेणी | १५०० | |
| ८ | कपडा पसल | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १५०० | ख श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ग श्रेणी | १००० | |
| ९<br>१० | फेन्सी तथा तयारी पोषाक | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | १२०० | ग श्रेणी | १२०० | |
| ११ | निर्माण सामाग्री तथा हार्डवेयर | ५००० | क श्रेणी | ५००० | |
| | | ३५०० | ख श्रेणी | ३५०० | |
| १२ | ग्रिल/आल्मूनियम उद्योग मर्मत तथा निर्माण | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| १३ | मोटरसाइकल मर्मत | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| १४ | बस, ट?क, जीप, कार मर्मत गर्ने वर्क सप | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १५०० | ख श्रेणी | १५०० | |
| १५ | टि.भी., मोवाइल, फ्रिज मर्मत | ५०० | | ५०० | |
| १६ | रिक्सा, साइकल मर्मत | निशूल्क | | निशूल्क | |
| | सवारी साधन सर्भिसिङ्ग | १००० | | १००० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १७ | टि.भी., घडी रेडियो क्यासेट बिक्री, मोवाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स बिक्री पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| १८ | टेलिभिजन बिक्री | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| १९ | गाडीको टायर, ट्युव मर्मत | ५०० | | ५०० | |
| २० | अन्य विविध मर्मत | ५०० | | ५०० | |
| २१ | किचेनका सामान/भाडा बर्तन पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| २२ | सुन चाादीको गहना बनाउने पसल | ३५०० | क श्रेणी | ३५०० | |
| | | २५०० | ख श्रेणी | २५०० | |
| | | १५०० | ग श्रेणी | १५०० | |
| २३ | पत्रिका तथा पुस्तक पसल | १२०० | क श्रेणी | १२०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| २४ | फोटो स्टूडियो | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| २५ | फोटो कपी, टेलिफोन तथा कूरीयर्स सेवाककक | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| २६ | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| २७ | जूत्ता चप्पल पसल | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| २८ | कपडा पसल सहित जूत्ता, चप्पल पसल | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १५०० | ख श्रेणी | १५०० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| २९ | सैलून | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ८०० | ख श्रेणी | ८०० | |
| ३० | फर्निचर पसल | २५०० | क श्रेणी | २५०० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| | | १५०० | ग श्रेणी | १५०० | |
| ३१ | पान पसल | ५०० | | ५०० | |
| ३२ | टेलर्स | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ३३ | औषधी पसल | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| ३४ | तरकारी/फलफूल पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ८०० | ख श्रेणी | ८०० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ३५ | कस्मेटिक पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ८०० | ख श्रेणी | ८०० | |
| ३६ | औषधी सहित क्लीनिक | ३००० | क श्रेणी | ३००० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| ३७ | अस्पताल/पोलिक्लीनिक | ५००० | क श्रेणी | ५००० | |
| | | ३५०० | ख श्रेणी | ३५०० | |
| ३८ | छापाखाना | २००० | | २००० | |
| ३९ | मदिरा पसल | २५०० | क श्रेणी | २५०० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| | | १००० | ग श्रेणी | १००० | |
| ४० | चूरोट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री | १००० | | १००० | |
| ४१ | कोल्ड डि?ङ्स | १००० | | १००० | |
| ४२ | टि.भी. च्यानल प्रशासण केन्द्र | ५००० | | ५००० | |
| ४३ | केवल च्यानल प्रशारण केन्द्र | २५०० | | २५०० | |
| ४४ | सेक्युरिटी सेवा | २००० | | २००० | |
| ४५ | व्यूटीपार्लर तालिम केन्द्र | १००० | | १००० | |
| ४६ | कस्मेटिक सहित ब्युटिपार्लर पसल | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ४७ | पुल स्नूकर हाउस | १५०० | | १५०० | |
| ४८ | विभिन्न सामानको अधिकृत विक्रेता डिलर | ३५०० | क श्रेणी | ३५०० | |
| | | २५०० | ख श्रेणी | २५०० | |
| | | १५०० | ग श्रेणी | १५०० | |
| ४९ | पेट?ोल पम्प | ६००० | | ६००० | |
| ५० | हस्तकला सामानको पसल | ५०० | | ५०० | |
| ५१ | कूटानी पिसानी मिल | १००० | | १००० | |
| | | ५०० | | ५०० | |
| ५२ | डिपार्टमेन्ट पसल | ५००० | क श्रेणी | ५००० | |
| | | ३००० | ख श्रेणी | ३००० | |
| | | १००० | ग श्रेणी | १००० | |
| ५३ | गिफ्ट तथा फोटो फ्रेम पसल | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ५४ | जडिबूटी खरिद विक्री पसल | ५०० | | ५०० | |
| ५५ | बिस्कूट तथा पाउरोटी उद्योग | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ५६ | नूडल्स उद्योग | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ५७ | घरेलू उद्योग (कपडा, | १००० | क श्रेणी | १००० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | स्वेटर, उन, बेतवास, बासका सामानह तयारी) | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ५८ | पोल्ट्री फर्म | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ५९ | बिरुवा नर्सरी | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ६० | खूकूरी उद्योग | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ६१ | दूध डेरी | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ६२ | संचार टावर (प्रति टावर) | ५००० | क श्रेणी | ५००० | |
| | | ३००० | ख श्रेणी | ३००० | |
| ६३ | जग्गा विकास कम्पनी | १०००० | | १०००० | |
| ६४ | अगर बत्ती उद्योग | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ८०० | ख श्रेणी | ८०० | |
| ६५ | कृषि भेटेरीनरी पसल | २००० | क श्रेणी | २००० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ग श्रेणी | ५०० | |
| ६६ | मेनपावर एजेन्सी | ५००० | | ५००० | |
| ६७ | गाडीको सो रुम | १०००० | | १०००० | |
| ६८ | मोटरसाइकल सो रुम | ३५०० | | ३५०० | |
| ६९ | ग्यास डिपो | १५०० | क श्रेणी | १५०० | |
| | | १००० | ख श्रेणी | १००० | |
| ७० | दालमोठ उद्योग | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ७१ | मसला उद्योग | १००० | क श्रेणी | १००० | |
| | | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ७२ | प्लाइउड उद्योग | २५०० | क श्रेणी | २५०० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| ७३ | फर्निचर समिल | ३५०० | क श्रेणी | ३५०० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| | | १००० | ग श्रेणी | १००० | |
| ७४ | मिनरल वाटर उद्योग | ३५०० | क श्रेणी | ३५०० | |
| | | ३००० | ख श्रेणी | ३००० | |
| ७५ | अचार उद्योग | ५०० | क श्रेणी | ५०० | |
| | | २०० | ख श्रेणी | २०० | |
| ७६ | भेनियर उद्योग | ३५०० | क श्रेणी | ३५०० | |
| | | ३००० | ख श्रेणी | ३००० | |
| ७७ | कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श सेवा | २५०० | क श्रेणी | २५०० | |
| | | २००० | ख श्रेणी | २००० | |
| ७८ | निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालय भए शाखा कार्यालय | २५०० | क श्रेणी | २५०० | |
| | | १५०० | ख श्रेणी | १५०० | |
| ७९ | कृषि उपज खरिद बिक्री | १००० | क श्रेणी | १००० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | व्यवसाय | ५०० | ख श्रेणी | ५०० | |
| ८० | एग्रो फार्म उद्योग | ५०० | | ५०० | |
| ८१ | बाणिज्य बैक शाखा कार्यालय | ५००० | | ५००० | |
| ८२ | विकास बैक शाखा कार्यालय | ४००० | | ४००० | |

*अनुसूची- ५*

(दफा ६ सँग सम्बन्धित

**जडिबुटि, कवाडी र जिवजन्तु कर (वार्षिक)**

| **सि.नं.** | **राजश्वका क्षेत्रहरु** | **आ.व. २०८१।०८२ को दर** | **आ.व. २०८२।०८३ को दर** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|---|
| १ | उन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाख, छाला जस्ता बस्तु | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| २ | कवाडी कर | ५०००।०० | ५०००।०० | |

*अनुसूची*- ६
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | **आ.व. २०८१।०८२ को दर** | **आ.व. २०८२।०८३ को दर** | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | टागा | ००।०० | ००।०० | |
| २ | रिक्सा | ३००।०० | ३००।०० | |
| ३ | अटो रिक्सा | ४००।०० | ४००।०० | |
| ४ | विद्युतीय रिक्सा (इ रिक्सा) | ५००।०० | ५००।०० | |
| ५ | सिटी रिम्सा नविकरण | २५०।०० | २५०।०० | |
| ६ | सिटी रिक्सा नामसारी | ५००।०० | ५००।०० | |
| ७ | पावर टि?लर | ५००।०० | ५००।०० | |

*अनुसूची- ७*

(दफा ८ सँग सम्बन्धीत)

**विज्ञापन कर**

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | होर्डिङ्ग बोर्ड मूख्य सडकहरु प्रति वर्ग फिट | ५०।०० | ५०।०० | |
| २ | होर्डिङ्ग बोर्ड मूख्य सडक सग जोडिएका शाखा सडकह प्रति वर्ग फिट | ३०।०० | ३०।०० | |
| ३ | होर्डिङ्ग बोर्ड अन्यत्र प्रति वर्ग फिट | २०।०० | २०।०० | |
| ४ | फल्यास बोर्ड प्रति वर्ग फिट | १०।०० | १०।०० | |
| ५ | माथि उल्लेखित प्रकरण बाहेकको हकमा प्रति वर्ग फिट | १०।०० | १०।०० | |
| ६ | व्यानर प्रति २ हप्ता | ५००।०० | ५००।०० | |
| ७ | व्यानर व्यापारिक प्रति गोटा प्रति वर्ग फिट (दूई हप्ताका लागि) | २०।०० | २०।०० | |
| ८ | गेट राख्न गाउपालिकाको स्वीकृती लिएर मात्र प्रति हप्ता | १०००।०० | १०००।०० | |
| ९ | प्रचार प्रसार सिटी रिक्सा समेतबाट माइकिङ्ग प्रतिदिन मात्र | ५०।०० | ५०।०० | |
| १० | प्रचार प्रसार गाडीबाट प्रतिदिन | १००।०० | १००।०० | |

*अनुसूची- ८*

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन कर

साँगुरीगढी गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र हुने चलचित्र घर, हाट बजार, मेला, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर र कन्सर्टमा प्रदेश कानूनले तोके अनुसार मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा कर संकलन गरिनेछ।

*अनुसूची- ९*

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

**वहाल विटौरी कर**

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | पक्की घर (ऐलानी, पर्ती जग्गामा बनेको घर) सुचीकरण | ५ | ५ | |
| २ | कच्ची घर (ऐलानी, पर्ती जग्गामा बनेको घर) सुचीकरण | ३ | ३ | |
| ३ | घर अभिलेखीकरण | **अनुसुची□ १२ छ बमोजिम** | **अनुसुची□ १२ छ बमोजिम** | |
| ४ | कपडा रेडिमेड पसल | ५०।०० | ५०।०० | प्रतिपटक |
| ५ | किराना पसल | ३०।०० | ३०।०० | प्रतिपटक |
| ६ | भाडा पसल | २५।०० | २५।०० | प्रतिपटक |
| ७ | सागसव्जी/फलफूल पसल लगायत अन्य साना पसल | ० | ० | |
| ८ | ऐलानी प्रति जग्गामा रहेको घरमा भएको व्यवसायहरु | अनुसुची□ १२ ञा बमोजिम हूनेछ | अनुसुची□ १२ ञा बमोजिम हूनेछ | |
| ९ | घर नं. दस्तूर | २०० | २०० | |
| १० | सेवा शूल्क | ५० | ५० | |

(नोट : ऐलानी प्रति जग्गामा घर निर्माण गरी पसल वा व्यवसाय रहेमा घर तथा पसल दुवैको माथि उल्लेखित दरमा कर असुली गर्नु पर्नेछ। )

*अनुसूची- १०*

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

**पार्किङ्ग सरसफाई तथा पुर्वाधार सेवा शुल्क**

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ट?ली, लहरी, टि?पर | ५०।०० | ५०।०० | |
| २ | बस, ट?क, ट्याक्टर | ५०।०० | ५०।०० | |
| ३ | मिनी बस, मिनी ट?क, माइक्रो बस | ३०।०० | ३०।०० | |
| ४ | पिकअप, कार, जीप, भ्यान | २०।०० | २०।०० | |
| ५ | भारतीय सवारी साधन□ट?ली, बस, ट?क (भारु) | १५०।०० | १५०।०० | |
| ६ | भारतीय सवारी साधन□कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस (भारु) | १००।०० | १००।०० | |
| ७ | भारतीय मोटरसाइकल(भारु) | २०।०० | २०।०० | |

*अनुसूची- ११*

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

**पर्यटन शुल्क**

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | टे्रकिङ्ग | ०।०० | ०।०० | |
| २ | कोयोकिङ्ग | ०।०० | ०।०० | |
| ३ | क्यान्योइङ्ग | ०।०० | ०।०० | |
| ४ | बन्जी जम्पीङ्ग | ०।०० | ०।०० | |
| ५ | जिप फ्लायर | ०।०० | ०।०० | |
| ६ | ¥याफ्टीङ्ग | ०।०० | ०।०० | |

*अनुसूची- १२ क*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**सेवा शुल्क**

**स्थानीय सडक पुर्वाधार प्रयोग सेवा शूल्क**

| सि.नं. | राजश्वका क्षेत्रहरु | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | सवारी साधनको किसिम | | | |
| १ | टि?पर प्रति टि?प | ५०।०० | ५०।०० | |
| २ | मिनी टि?पर प्रति टि?प | ३०।०० | ३०।०० | |
| ३ | ट?क प्रति टि?प | ३०।०० | ३०।०० | |
| ४ | ट्याक्टर | २०।०० | २०।०० | |
| ५ | बस (राजमार्गमा चल्ने रुट इजाजत प्राप्त बाहेक) | ३०।०० | ३०।०० | |
| ६ | ट्याक्सी, टेम्पो, जिप, भ्यान (राजमार्गमा चल्ने रुट इजाजत प्राप्त बाहेक) | १५।०० | १५।०० | |

*अनुसूची- १२ ख*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**नमस्ते झरना प्रवेश सेवा शूल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | | | | आ.व. २०८२।०८३ को दर | | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति व्यक्ति | दूरवीन क्यामरा | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | प्रति व्यक्ति | दूरवीन क्यामरा | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | |
| १ | स्वदेशी नागरिक प्रति व्यक्ति | ३० | १५ | ६० | १२०० | ४० | १५ | ६० | १२०० | |
| २ | सार्क मुलूकका नागरिकहरु प्रति व्यक्ति | ६० | ३० | १७५ | १८०० | ८० | ३० | १७५ | १८०० | |
| ३ | अन्य मूलूकका नागरिकहरु प्रति व्यक्ति | १७५ | १२० | २५० | २५०० | २३० | १२० | २५० | २५०० | |

*अनुसूची- १२ ग*

## (दफा ३घ साग सम्बन्धित)

### ओखे भ्यु टावर प्रवेश सेवा शूल्क

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | | | आ.व. २०८२।०८३ को दर | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | |
| १ | स्वदेशी नागरिक प्रति व्यक्ति | २० | १० | १००० | २० | १० | १००० | |
| २ | सार्क मुलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | ५० | ३० | २५०० | ५० | ३० | २५०० | |
| ३ | अन्य मूलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | १०० | १५० | ५०००० | १०० | १५० | ५०००० | |

*अनुसूची- १२ घ*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**ध्वजेडाडा प्रवेश सेवा शूल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | | | आ.व. २०८२।०८३ को दर | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | |
| १ | स्वदेशी नागरिक प्रति व्यक्ति | २० | १० | १००० | २० | १० | १००० | |
| २ | सार्क मुलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | ५० | ३० | २५०० | ५० | ३० | २५०० | |
| ३ | अन्य मूलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | १०० | १५० | ५०००० | १०० | १५० | ५०००० | |

*अनुसूची- १२ ङ*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**भेडेटार बनभोज स्थल प्रवेश तथा सरसफाई शूल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १० जना सम्मको समुह | ५००।०० | ५००।०० | |
| २ | ११ देखि २० जना सम्मको समुह | ७५०।०० | ७५०।०० | |
| ३ | २० जना माथिको समुह | १०००।०० | १०००।०० | |

*अनुसूची- १२ छ*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**घर नक्सा पास दस्तूर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर |
|---|---|---|---|
| १ | **क वर्गका भवन प्रति वर्ग फिट** (क वर्गका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८(क) मा व्यवस्था भए अनुसार विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको अनुसरण गरी इण्टरनेशनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरू । | १२ | १२ |
| २ | **ख वर्गका भवन प्रति वर्ग फिट** (ख वर्गको भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ख) मा व्यवस्था भएको प्लीन्थ एरिया १००० वर्गफीटभन्दा बढी, भुइँतला सहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरभन्दा बढी भएका भवनहरू । | ८ | ८ |
| ३ | **ग वर्गका भवन प्रति वर्ग फिट** (ग वर्गका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) मा व्यवस्था भएको प्लीन्थ एरिया १००० वर्गफीट सम्म, भुइँतला सहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरसम्म भएका भवनहरू । | ६ | ६ |
| ४ | **घ वर्गका भवन प्रति वर्ग फिट** खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेकका काँचो वा पाको ईंटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने साना घर, छाप्राहरु । | ५ | ५ |
| ५ | भुँईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको प्रति वर्गफुट | ३ | ३ |
| ६ | काठ तथा बाँसको सेण्टर बेरा सिमेण्टको प्लाष्टर, जस्ता वा खरको छाना भएको | १००० | १००० |
| ७ | काठको घर वा टाँडे घर | १००० | १००० |
| ८ | पूर्ण कच्चि घर एक मुष्ठ | १००० | १००० |
| ९ | घर नक्सा निर्माण सिफारिस दस्तुर | ५०० | ५०० |
| १० | प्रि.फयाव स्टील स्ट्रक्चर एएसि आदिबाट निर्मित | ७ | ७ |

*अनुसूची- १२ ज*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**अन्य सेवा शूल्क तथा सिफारिस दस्तूर**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु<br>विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | घर नक्सा पास पुस्तिका | ५००।०० | ५००।०० | |
| २ | घर नक्सा ले आउट | १०००।०० | १०००।०० | |
| ३ | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जमिन | ५००।०० | १०००।०० | |
| ४ | नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | २५०।०० | ५००।०० | |
| ५ | घर नक्साको प्रतिलिपी | २५०।०० | ५००।०० | |
| ६ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र पक्की | ५००।०० | १०००।०० | |
| ७ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र कच्ची | २००।०० | ५००।०० | |
| ८ | घर नक्सा नामसारि १००० स्वाक्यर फिट भन्दा माथिको लागि | १०००।०० | १०००।०० | पक्की घरको हकमा |
| ९ | घर नक्सा नामसारि १००० स्वाक्यर फिट भन्दा कम लागि | ५००।०० | ५००।०० | पक्की घरको हकमा |
| १० | भुँईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको | ३००।०० | ३००।०० | |
| ११ | काठको घर वा टाँडे घर | २००।०० | २००।०० | |
| १२ | काठ तथा बाँसको सेण्टर बेरा सिमेण्टको प्लष्टर, जस्ता वा खरको छाना | २००।०० | २००।०० | |
| १३ | पूर्ण कच्ची घर | १००।०० | १००।०० | |
| १४ | कच्ची घर फुसको छाना भएको वा सामान्य प्रकृतिको घर नक्सा नामसारी | २००।०० | २००।०० | |
| १५ | घर कायमको सिफारिस (घर सम्पन्न प्रमाण पत्र प्राप्त भएकाको हकमा मात्र) | ५००।०० | ५००।०० | |
| १६ | नागरिकता सम्बन्धीसिफारिस (नयाँ र प्रतिलिपी) | २५०।०० | २५०।०० | |
| १७ | प्रतिलिपि दस्तुर प्रति पाना | १५।०० | १५।०० | |
| १८ | मिलापत्र दस्तुर (दुवै पक्षबाट आधा आधा व्यहोरिने) | १०००।०० | १०००।०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १९ | उजुरी तथा मुद्धा दर्ता दस्तुर | १००।०० | १००।०० | |
| २० | व्यवसाय नामसारी सिफारीस दस्तुर | २००।०० | २००।०० | |
| २१ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यस पछि दर्ता आएमा जरिवाना वापत | ५०।०० | ५०।०० | |
| २२ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि | १००।०० | १००।०० | |
| २३ | साँध सिमाना प्रमाणित | २००।०० | २००।०० | |
| २४ | जग्गा नामसारी सिफारिस शहरी क्षेत्रमा | ५००।०० | ५००।०० | |
| २५ | जग्गा नामसारी सिफारिस ग्रामिण क्षेत्रमा | २५०।०० | २५०।०० | |
| २६ | घरजग्गा नामसारी शहरी क्षेत्रमा | ५००।०० | ५००।०० | |
| २७ | घरजग्गा नामसारी सिफारिस ग्रामिण क्षेत्रमा | २५०।०० | २५०।०० | |
| २८ | सर्जमिन मुचुल्का | ३५०।०० | ३५०।०० | |
| २९ | टेलिफोन जडान सिफारीस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३० | वैदेशिक रोजगारीको सिफारीस | २००।०० | २००।०० | |
| ३१ | कन्सुलर प्रमाणित | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३२ | संघ संस्था नविकरण सिफारीस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३३ | निर्माण व्यवसायी इजाजत नविकरण सिफारिस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३४ | घ वर्गका निर्माण व्यवसायी इजाजत दस्तुर | ५०००।०० | ५०००।०० | |
| ३५ | घ वर्गका निर्माण व्यवसायी इजाजत नविकरण दस्तुर | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| ३६ | घ वर्गका निर्माण व्यवसायि इजाजत नविकरण थप दस्तुर | २०००।०० | २०००।०० | |
| ३७ | घ वर्गका निर्माण व्यवसायि इजाजत प्रतिलिपि दस्तुर | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३८ | नाता प्रमाणित दस्तुर | ५००।०० | ५००।०० | |
| ३९ | वसोवास प्रमाणित (वैदेशिक प्रयोजन) | ५००।०० | ५००।०० | |
| ४० | वसोवास प्रमाणित (स्वदेशि प्रयोजन) | २००।०० | २००।०० | |
| ४१ | नाफा मूलक संघ संस्था दर्ता/नवीकरण सिफारिस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ४२ | सेवा मूलक संघ संस्था दर्ता/नवीकरण सिफारिस | ३००।०० | ३००।०० | |
| ४३ | मोहि नामसारी सिफारिस | २००।०० | २००।०० | |
| ४४ | ढुंगा गिटी बालुवा स्टक प्रमाणित (प्रति घन मिटर) | १०।०० | १०।०० | |
| ४५ | रुख कटान सिफारिस प्रति गोटा | १००।०० | १००।०० | |
| ४६ | नेपाली पेन्सन पट्टा सिफारिस | २००।०० | २००।०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ४७ | भारतीय पेन्सन पट्टा सिफारिस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ४८ | अन्य मुलुकको पेन्सन पट्टा सिफारिस | १०००।०० | १०००।०० | |
| ४९ | अपुतालि सिफारिस | १०००।०० | १०००।०० | |
| ५० | अंग्रेजीमा प्रमाणित तथा सिफारिस | ५००।०० | ५००।०० | |
| ५१ | उल्लेखित वाहेकका अन्य सिफारिस | २००।०० | २००।०० | |
| ५२ | घर नम्बरिङ्ग प्रति प्लेट | २००।०० | २००।०० | |
| ५३ | निजी मन्टेस्वरी नवीकरण | ३,०००।०० | ३,०००।०० | |
| ५४ | निजी विद्यालय १ देखि ३ सम्म | ४,०००।०० | ४,०००।०० | |
| ५५ | निजी विद्यालय १ देखि ५ सम्म | ५,०००।०० | ५,०००।०० | |
| ५६ | निजी विद्यालय १ देखि ८ सम्म | ८,०००।०० | ८,०००।०० | |
| ५७ | निजी विद्यालय १ देखि १० सम्म | १०,०००।०० | १०,०००।०० | |
| ५८ | निजी विद्यालय ११ र १२ कक्षाको लागि | १२,०००।०० | १२,०००।०० | |
| ५९ | निजी विद्यालय थप कक्षा सञ्चालन प्रति कक्षा (१ देखि ३ कक्षा) | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| ६० | निजी विद्यालय थप कक्षा सञ्चालन प्रति कक्षा (४ देखि ५ कक्षा) | ५०००।०० | ५०००।०० | |
| ६१ | निजी विद्यालय थप कक्षा सञ्चालन प्रति कक्षा (५ देखि ८ कक्षा) | ६०००।०० | ६०००।०० | |
| ६२ | निजी विद्यालय थप कक्षा सञ्चालन प्रति कक्षा (८ देखि १० कक्षा) | ८०००।०० | ८०००।०० | |
| ६३ | निजी विद्यालय थप कक्षा सञ्चालन प्रति कक्षा (११ देखि १२ कक्षा) | १०,०००।०० | १०,०००।०० | |
| ६४ | कलेज कक्षा थप सिफारिस प्रति कक्षा | २०००।०० | २०००।०० | |
| ६५ | हलभाडा | ५०००।०० | ५०००।०० | |

*अनुसूची- १२ झ*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**सिफारिस तथा प्रमाणित शुल्क**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ६५ | **चार किल्ला प्रमाणित (शहरी क्षेत्रमा)** | **आ.व. २०८१।०८२ को दर** | **आ.व. २०८२।०८३ को दर** | |
| | क) १ रोपनीसम्म | ५०० | ५०० | |
| | ख) १ देखि ५ रोपनीसम्म | १०००। | १०००। | |
| | ग) ५ देखि १० रोपनीसम्म | १५००। | १५००। | |
| | घ) १० रोपनि भन्दा माथि | २०००। | २०००। | |
| | | | | |
| | चार किल्ला प्रमाणित (ग्रामीण क्षेत्रमा) | | | |
| | क) १ रोपनीसम्म | ३००। | ३००। | |
| | ख) १ देखि ५ रोपनीसम्म | ५००। | ५००। | |
| | ग) ५ देखि १० रोपनीसम्म | ६००। | ६००। | |
| | घ) १० रोपनि भन्दा माथि | १०००। | १०००। | |
| ६६ | **घर बाटो सिफारिस (शहरी क्षेत्रमा)** | | | |
| | क) १ रोपनी सम्म | ५००। | ५००। | |
| | ख) १ देखि ५ रोपनी सम्म | १०००। | १०००। | |
| | ग) ५ देखि १० रोपनीसम्म | १५००। | १५००। | |
| | घ) १० रोपनी भन्दा माथि | २०००। | २०००। | |
| | क) १ रोपनी सम्म | ३००। | ३००। | |
| | ख) १ देखि ५ रोपनीसम्म | ५००। | ५००। | |
| | ग) ५ देखि १० रोपनीसम्म | ६००। | ६००। | |
| | घ) १० रोपनि भन्दा माथि | १०००। | १०००। | |
| | | | | |
| ६७ | **सम्पत्ति मुल्यांकन तथा आम्दानी मूल्यांकन** | प्रतिशत | प्रतिशत | |
| | क) एक रोपनी सम्मको | ०.०५ | ०.०५ | |
| | ख) १ रोपनी देखि माथी २ रोपनीसम्म | ०.०५ | ०.०५ | |
| | ग) २ रोपनी देखि माथी ५ रोपनीसम्म | ०.०५ | ०.०५ | |
| | घ) ५ रोपनी देखि माथी १० रोपनीसम्म | ०.०५ | ०.०५ | |
| | ङ) १० रोपनी देखि माथी ५० रोपनीसम्म | ०.०५ | ०.०५ | |
| | च) ५० रोपनी देखि माथी जती सुकै भए पनि | ०.०५ | ०.०५ | |
| | अमिनबाट जग्गा छुट्याउदा लाग्ने दस्तूर ( प्रति कित्ता) | | | |
| | (क) १० (दश) रोपनी सम्मको | 1500 | 1500 | |
| | (ख) १० (दश) रोपनी देखि २५ रोपनी सम्मको | 2000 | 2000 | |
| | (ग) २५ (पच्चिस) रोपनी देखि माथिको | 2500 | 2500 | |
| ६८ | दूरी प्रमाणित अमिनबाट गरिने | | | |
| | क) बैकिङ प्रयोजनका लागी | १०००। | १०००। | |
| | ख) सर्बसाधारण संग जोडीएका घर घर विच | ५००। | ५००। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ग) किचलो परी आएको हकमा | ७००। | ७००। | |
| | घ) माथि उल्लेखीत बाहेकको हकमा | ५००। | ५००। | |
| | | | | |
| ६९ | घर कोठा खोल्ने सिफारिस | | | |
| | क) व्यवसायिक घर कोठा खोल्ने | ५००। | ५००। | |
| | ख) आवासिय घर कोठा खोल्ने सिफारिस | ३००। | ३००। | |
| ७० | विद्यूत जडान तथा मिटर सिफारीश | | | |
| | कृषि व्यवसाय तथा सिचाई प्रयोजन समेत | ५००।०० | ५००।०० | |
| | उद्योग, कलकारखाना, पसल तथा व्यवसाय र व्यवशायीयक भवन समेत -थ्रिफेज लाईन जडान सिफारीस समेत) | ५००।०० | ५००।०० | |
| | आवासीय घरमा | ५००।०० | ५००।०० | |
| | सकुम्वासी र सिमान्तकृत परिवारका लागि | ५००।०० | ५००।०० | |
| 71 | खानेपानीको धारा जडान वा खानेपानी सग सम्बन्धित सिफारिस | | | |
| | कृषि व्यवसाय | ५००।०० | ५००।०० | |
| | उद्योग, कलकारखाना, पसल तथा व्यवसाय र व्यवशायीयक भवन समेत | ५००।०० | ५००।०० | |
| | आवासीय घरमा | ५००।०० | ५००।०० | |
| | सकुम्वासी तथा गरिव र सिमान्तकृत परिवारका लागि | ५००।०० | ५००।०० | |

*अनुसूची- १२ ञ*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**विशेषज्ञ, परामर्श तथा व्यवसायिक सेवा**

| सि.नं | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| क) | **चिकित्सक, अ.हे.व. कविराज, होमियोप्याथिक, आयुर्बेदिक, पशू चिकित्सक, भेटेरीनरी समेत** | | | |
| १ | एम.डी. डाक्टरलाई | २०००।० | २०००।० | |
| २ | पशु चिकित्सामा स्नातकोत्तर | १५००।० | १५००।० | |
| ३ | एम.वि.वि.एस. | १०००।० | १०००।० | |
| ४ | पशु चिकित्सामा स्नातक | ७५०।० | ७५०।० | |
| ५ | अ.हे.व तथा पशु सहायकलाई | ५००।० | ५००।० | |
| ६ | कविराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक डाक्टर | १०००।० | १०००।० | |
| ७ | कविराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक अहेब | ५००।० | ५००।० | |
| ख) | **कानून व्यवसायी** | | | |
| १ | बरिष्ठ अधिवक्ता | २००० | २००० | |
| २ | अधिवक्ता | १५०० | १५०० | |
| ३ | अभिवक्ता | १००० | १००० | |
| ४ | लेखापढी व्यवसायी | ५०० | ५०० | |
| ग) | **लेखापरीक्षक** | | | |
| १ | श्रेणी क | १५०० | १५०० | |
| २ | श्रेणी ख | १००० | १००० | |
| ३ | श्रेणी ग | ७५० | ७५० | |
| ४ | श्रेणी घ | ५०० | ५०० | |
| घ) | **भ्यालूएटर (मुल्यांकनकर्ता इन्जिनियरी सेवा)** | | | |
| १ | बैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोजनको लागि | २०००।०० | २०००।०० | |
| २ | विमा प्रयोजनका लागि | १५००।०० | १५००।०० | |
| ३ | अन्य सबै | ७५०।०० | ७५०।०० | |
| ङ) | **परामर्शदाता (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक लगायतका विषयसग सम्बन्धित दर्तावाला विभिन्न परामर्शदाता)** | १०००।०० | १०००।०० | |
| २. सेवा व्यवसाय | | | | |
| क) निर्माण व्यवसाय (सबै प्रकारका) | | | | |
| १ | श्रेणी क | ७००० | ७००० | |
| २ | श्रेणी ख | ५००० | ५००० | |
| ३ | श्रेणी ग | २५०० | २५०० | |
| ४ | श्रेणी घ | १००० | १००० | |
| ख) विमा, विज्ञापन, शेयर, अभिकर्ता, कानूनी फर्म, अनुसन्धान, अनूवादक लगायतका सेवाहरु वा फर्म | | | | |
| १ | बिमा एजेन्ट विदेशी | ५००० | ५००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २ | बिमा एजेन्ट स्वेदेशी | 1500 | 1500 | |
| ३ | विज्ञापन एजेन्सी | 2500 | 2500 | |
| ४ | शेयर दलाल | २५०० | २५०० | |
| ५ | अभिकर्ता | ७५० | ७५० | |
| ६ | कानूनी फर्म तथा लेखा व्यवसायी फर्म | १५०० | १५०० | |
| ७ | अनूसन्धान तथा परामर्शदाता | १००० | १००० | |
| ८ | अनूवादक | २५० | २५० | |
| **ग) संचार सेवा (पत्र पत्रिका, एफ.एम., रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारण समेत)** | | | | |
| १ | पत्रपत्रिका वितरक | १०० | १०० | |
| २ | पत्रिका प्रशासक | १५०० | १५०० | |
| ३ | एफ.एम.रेडियो प्रसारण | २५०० | २५०० | |
| ४ | केवल नेटवर्क | | | |
| ४.१ | ५०० सम्म ग्राहक भएको | ५००० | ५००० | |
| ४.२ | ५०० देखि १००० सम्म ग्राहक भएको | १०००० | १०००० | |
| ४.३ | १००० भन्दा माथि ग्राहक भएकाको हकमा प्रति ग्राहक | २।०० | २।०० | |
| ५ | मोवाइल टावर ठुलो | १५००० | १५००० | |
| ६ | मोवाइल टावर सानो | १०००० | १०००० | |
| | ठुलो टावर भन्नाले घरको छतमा राखिएका टावरहलाई जनाउने छ भने दूई तल्ले घर सम्मको उचाई भएको जमिनमा राखिएका टावरहलाई समेत ठुलो टावरको रुपमा लिइने छ । | | | |
| | उद्योग दर्ता सिफारीश | | | |
| | १. खाद्य तथा पेय पदार्थ प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने | | | |
| क | दाल, चामल, चिउरा, भूजिया लगायतका उपभोग्य बस्तू | २५०।०० | २५०।०० | |
| ख | पाउरोटी केक | २००।०० | २००।०० | |
| ग | मसला तथा मसलाजन्य पदार्थ | ५००।०० | ५००।०० | |
| घ | चाउचाउ बिस्कूट, कन्फेक्सनरी, सस् लगायत | १०००।०० | १०००।०० | |
| ङ | बरफ, जूस लगायत | १५००।०० | १५००।०० | |
| च | हल्का पेय पदार्थ | २०००।०० | २०००।०० | |
| छ | डिस्टीकलरी उद्योग | ५०००।०० | ५०००।०० | |
| ज | माथि उल्लेख नभएका खाद्य पदार्थ प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका उद्योग | १५००।०० | १५००।०० | |
| २. चिया तथा जडिबूटी | | | | |
| क. | चिया कफि फारम, चिया कफि प्रशोधन केन्द्र | २५००।०० | २५००।०० | |
| ख. | जडिबूटी प्रशोधन केन्द्र | १५००।०० | १५००।०० | |
| ३. पशू आहार उत्पादन तथा प्रशोधन | | | | |
| क. | पशू आहार पेलेट दाना | १०००।०० | १०००।०० | |
| ख. | पशू आहार सामान्य | ५०० | ५०० | |
| ४ अन्य उद्योगहरु दर्ता सिफारिस दस्तूर | | | | |
| क | कपडा (सवै प्रकारका कपडा, ढाका तथा अन्य) उद्योग | ५००। | ५००। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ख | सलाई उद्योग | २०००। | २०००। | |
| ग | प्लाई उद्योग | ३०००। | ३०००। | |
| घ | काष्ठ उद्योग | २०००। | २०००। | |
| ङ | स मिल सहितको काष्ठ उद्योग | २५००। | २५००। | |
| च | फर्निचर उद्योग मात्र | १०००। | १०००। | |
| छ | बेतबांस फर्निचर | ५००। | ५००। | |
| ज | प्लाष्टीक उद्योग | ५०००। | ५०००। | |
| झ | जुत्ता चप्पल उद्योग | १५००। | १५००। | |
| ञ | स्टेशनरी उद्योग, छपाई उद्योग | १०००। | १०००। | |
| ट | ग्रील उद्योग | २०००। | २०००। | |
| ठ | गलैचा तथा राडिपाखि उद्योग | १५००। | १५००। | |
| ड | गर्मेन्ट उद्योग | ७०००। | ७०००। | |
| ढ | ईटा उद्योग -आधुनीक भट्टा जडित) | ५०००। | ५०००। | |
| ण | ईटा तथा टायल -आधुनीक यन्त्र जडान नगरीएको) | २०००। | २०००। | |
| त | सिमेण्ट ब्रिक बनाउने | १०००। | १०००। | |
| थ | तामा आल्मुनीयम जस्ता धातु उद्योग | १५००। | १५००। | |
| द | प्रेश बाहेक प्रन्टीङ | ५०००। | ५०००। | |
| ध | चुरोट विडी | १५०००। | १५०००। | |
| न | लुब्रिकेन्ट्स उद्योग | १००००। | १००००। | |
| प | माथि उल्लेख नभएका उद्योगहरूको हकमा उद्योगको प्रकृति हेरी | ६००।० देखि २००००। सम्म | ६००।० देखि २००००। सम्म | |
| फ | खाद्य पदार्थको थोक विक्रेता | १०००। | १०००। | |
| ब | हलुका पेय पदार्थको थोक विक्रेता | १५००। | १५००। | |
| भ | फलाम तथा फलामे डण्डि लगायतको थोक तथा होलसेल विक्रेता | २०००। | २०००। | |
| म | विभिन्न प्रकारका मदिराको थोक तथा होलसेल विक्रेता | २५००। | २५००। | |
| य | ईटा, टायल, मार्वल लगायतको थोक तथा होलसेल विक्रेता | २०००। | २०००। | |
| र | मिल मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको थोक तथा होलसेल विक्रेता | २५००। | २५००। | |
| ल | यातायात तथा ढुवानीका साधनको थोक तथा होलसेल विक्रेता (साईकलको हकमा १०००।० मात्र) | ५०००। | ५०००। | |
| व | मर्मत सम्भार सम्बन्धी ग्यारेज | ७५०। | ७५०। | |
| स | पेट्रोल पम्प | ५०००। | ५०००। | |
| ष | मट्टितेल डिलर | १५००। | १५००। | |
| श | डिपार्टमेण्ट स्टोर | २५००। | २५००। | |

*अनुसूची- १२ ट*

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**सरसफाइ तथा अन्य शुल्क**

| सि.नं | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई सेवा शूल्क (गाउपालिकाबाट फोहरमैला उठाउने क्षेत्रमा) | | | |
| १ | घर १ तले ४ कोठासम्मको | २५ | 25 | |
| २ | घर २ तले ११/१२ कोठासम्मको | ३५ | ३५ | |
| ३ | घर ३ तले १६/१७ कोठासम्मको | ४० | ४० | |
| ४ | घर ३ तले २० कोठासम्मको | ५० | ५० | |
| ५ | पसल १ कोठाको साना किराना पसल, | २५ | २५ | |
| ६ | किराना तथा भेराइटी पसल | ४० | ४० | |
| ७ | साना चिया पसल | १५ | १५ | |
| ८ | ब्यूटि पार्लर | २५ | २५ | |
| ९ | मिठाई पसल | २५ | २५ | |
| १० | रेष्टुरेण्ट | ३० | ३० | |
| ११ | होटल खाना नास्ता | ३० | ३० | |
| १२ | फूटफाथ घूम्ती ठेला | १० | १० | |
| १३ | होटल लज | ५० | ५० | |
| १४ | पान पसल | १५ | १५ | |
| १५ | कोल्ड ड्रीङ्कस् (सानो र ठूलो) | २५ | २५ | |
| १६ | मदिरा होलसेल पसल | २५ | २५ | |
| १७ | ग्यास डिलर | २५। | २५। | |
| १८ | औषधी पसल | २५। | २५। | |
| १९ | आयुर्वेदिक औषधी पसल | २५। | २५। | |
| २० | पशुजन्य औषधी पसल | २५। | २५। | |
| २१ | कृषिजन्य औषधी पसल | २५। | २५। | |
| २२ | सैलुन | २५। | २५। | |
| २३ | बैंक | ३०। | ३०। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २४ | फाइनान्स् कम्पानी | २०। | २०। | |
| २५ | ईन्सुरेन्स कम्पानी | २०। | २०। | |
| २६ | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (सानो, ठूलो) | २० | २० | |
| २७ | मोटर साईकल ग्यारेज सानो | २५। | २५। | |
| २८ | मोटर ग्यारेज | ३०। | ३०। | |
| २९ | पेट्रोल पम्प | ५०। | ५०। | |
| ३० | फ्रेस हाउस (मासु पसल) | २५। | २५। | |
| ३१ | सिसा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) | ५०। | ५०। | |
| ३२ | तरकारी पसल (सानो, मझौला ठूलो) | २० | २० | |
| ३३ | आलू, प्याज होलसेल | ५०। | ५०। | |
| ३४ | कपडा पसल | २५। | २५। | |
| ३५ | मेसिनरी सामान बिक्री केन्द्र | २०। | २०। | |
| ३६ | टि.भि., फ्रीज पसल | २०। | २०। | |
| ३७ | जूत्ता, चप्पल पसल | २०। | २०। | |
| ३८ | बूकिङ्ग काउन्टर | २०। | २०। | |
| ३९ | आल्मूनीयम फर्निचर केन्द्र | २०। | २०। | |
| ४० | सूनचाँदी पसल | २०। | २०। | |
| ४१ | सूनचाँदी कारखाना | ४०। | ४०। | |

*अनुसूची- १२ ठ*

(दफा ञघ साग सम्बन्धित)

**आत्मा घर तथा जनजाति पार्क प्रवेश सेवा शूल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | | | आ.व. २०८२।०८३ को दर | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | प्रति व्यक्ति | भिडियो क्यामरा | भिडियो फिल्म सूटिङ्ग | |
| १ | स्वदेशी नागरिक प्रति व्यक्ति | २० | १० | १००० | २० | १० | १००० | |
| २ | सार्क मुलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | ५० | ३० | २५०० | ५० | ३० | २५०० | |
| ३ | अन्य मूलूकका नागरिकह प्रति व्यक्ति | १०० | १५० | ५००० | १०० | १५० | ५००० | |

***अनुसूची- १३***

(दफा १४ सँग सम्बन्धित)

पर्यटन शुल्क

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे अनुसारको दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ।

*अनुसूची-१४*

(दफा १५ सँग सम्बन्धित)

**बिक्री तथा निकासी शुल्क**

| सि.नं | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | **ढुङ्गा, गिटी, बालुवा** | | | |
| | टि?पर | १०० | १०० | |
| | ट?क | ७० | ७० | |
| | ट्याक्टर | ४० | ४० | |
| २ | **माटो** | | | |
| | टि?पर | ३० | ३० | |
| | ट?क | २० | २० | |
| | ट्याक्टर | १५ | १५ | |
| ३ | काठजन्य | | | |
| | खयर | ५०० | ३०० | प्रतिरुख |
| | सखूवा | ३०० | २०० | प्रतिरुख |
| | अन्य प्रजाति | १०० | ५० | प्रतिरुख |
| | स्टक प्रमाणित | १० | ० | प्रदेश कानुन |

*अनुसूची- १५*
(दफा १८ सँग सम्बन्धित)
**दण्ड जरिवाना**

| सि.नं | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर | आ.व. २०८२।०८३ को दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना | | | निशूल्क |
| २ | ३५ दिन नाघि दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना | तोकिए अनुसार | तोकिए अनुसार | तोकिए अनुसार |
| ३ | गाउँपालिकालले तोकेको निशेधित क्षेत्र तथा छिमेकिलाई असर पर्ने गरी घर छेउ, चोक लगायतका क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेका हकमा | १०००।० | १०००।० | फोहोर उठाउन लागेको रकम समेत थप लिने |
| ४ | निशेधित प्लास्टिक प्रयोगमा ल्याउनेको हकमा | ७५।०० | ७५।०० | |
| ५ | जथाभावी चौपाय छोड्नेका हकमा प्रतिदिन प्रति चौपाय | | | ७ दिन सम्म पनि चौपाया लिन चौपाय धनी नआएमा गाउँपालिकाले लिलाम गर्ने छ । |
| ५.१ | खसि, बाखा, भेडा च्यांग्रा आदी | १००।० | १००।० | पाठापाठिको हकमा खुराकी खर्च प्रति दिन ७५।० |
| ५.२ | गाई, गोरु, रांगा, भैसी, घोडा, सुंगुर बंगुर घरपालुवा कुकुर, लगायत | २००।० | २००।० | खुराकी खर्च थप १००।० प्रतिदिन ।<br>बाछा बाछि र पाडापाडिको हकमा सो को ५०%थप |
| ५.३ | माथि उल्लेखित बाहेकका चौपायाको हकमा | १००।० देखि २००।० सम्म | १००।० देखि २००।० सम्म | खुराकी १००।० प्रतिदिन । |
| ६ | मालपोत बक्यौता जरिवाना | | | |
| | १ वर्ष सम्म | १०% | १०% | |
| | २ वर्ष | १५% | १५% | |
| | २ वर्ष माथि | २५% | २५% | |
| ७ | सम्पति कर बक्यौता जरिवाना | | | |
| | १ वर्ष सम्म | १०% | १०% | |
| | २ वर्ष | १५% | १५% | |
| | २ वर्ष माथि | २५% | २५% | |
| ८ | झुठ्ठा विवरण पेश गर्नेका लागि | | | |
| | १) सम्पतिको विवरण | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | |
| | २) उद्योग, ब्यापार तथा ब्यवशायको विवरण | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | |
| | ३) गाउँपालिकाले मागेका अन्य विवरण | ५००।० | ५००।० | |
| १० | अर्कालाई अप्ठेरो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने, घर टहरा निर्माण | १०००।० देखि ५०००।० सम्म | प्रचलित नेपाल | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | गर्ने | | कानूनमा तोकिएको भए बमोजिम हुने । गाउँपालिकाले हटाउंदाको खर्च समेत थप गरि लिने । | |
| ११ | सवै प्रकारका पसल तथा ब्यवसायय खोली गाउँपालिकामा दर्ता नगरी अनुमति बेगर सञ्चालन गरिरहेको ( प्रथम बर्षकालागि) | | प्रचलित नेपाल कानूनमा तोकिएको भए बमोजिम हुने | |
| | क) एक बर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप | २५ % | २५ % | |
| | ख) एक देखि माथि दुई बर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप | ५० % | ५० % | |
| | ख) दुई बर्ष भन्दा वढी नआएकोलाई आधार दरमा थप | १०० % | १०० % | यस पछि प्रति बर्ष दोब्बर हुँदै जाने |
| १२ | सार्वजनिक बाटो लागायत सांधसधियारीलाई बाधा अवरोध पुग्ने गरी ढल, नाला, चर्पि, सेफि्ट टैंकि बनाउनेलाई | २०००।० | २०००।० | १.गाउँपालिकाले हटाउंदाको खर्च समेत थप गरि लिने<br>२. बाटोमा १२ र १३ मा भएको घट्नाका आधारमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी समेत संबन्धित ब्यक्तिबाटै असुल उपर गर्ने |
| १३ | इजाजत बेगर सार्वजनिक स्थान, बाटो, घोडेटो, गोरेटो घेर्ने, गाई बस्तु बांध्ने, माटो, गिटी बालुवा तथा ढुंगा लगायतका सामान राखि आफ्नो प्रयोगमा ल्याउने लाई | १५००।० | १५००।० | |
| १४ | विना अनुमति सार्वजनिक सम्पतिको हानि नोक्सानी, अतिक्रमण वा अपचलन गर्ने, | २५००।० | २५००।० | त्यस सम्पतिलाई दुरुस्त पार्न लाग्ने खर्च समेत थप |
| १५ | विना अनुमति सार्वजनिक जग्गामा वा त्यस्तो जग्गा मिचि घर, टहरा आदी निर्माण गर्ने | ५०००।० | ५०००।० | घर टहरा भत्काउदा र हटाउँदा लागेको खर्च समेत असुल गर्ने |
| १६ | कुनै किसिमका यन्त्र उपकरण जोडि वा कुनै उपकरण वा मनोरञ्जनका साधन द्वारा छर छिमेक वा समाजमा शान्ति भङ्ग हुने कृयाकलाप गर्नेलाई | १००।० | १००।ं | हटाउन लाग्ने खर्च समेत असुल गर्ने |
| १७ | पशलहरूमा मूल्य सूची नराख्नेलाई | १५१।० देखि | १५१।० देखि | ब्यवशायको प्रकृति हेरी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ५१००।० सम्म | ५१००।० सम्म | अनुगमन टोलिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने |
| १८ | निशेधित क्षेत्र बाट ढुंगा, गिटि, बालुवा, माटो लगायतका चिज बस्तु निकालेमा | | | |
| क | प्रति ट्याक्टर | ६०००।० | ६०००।० | १. एक पटक भन्दा बढी पटक को हकमा प्रति पटक दोब्बर हुंदै जानेछ |
| ख | प्रति टिपर | १८०००।० | १८०००।० | प्रति पटक दोब्बर हुंदै जानेछ |
| ग | नदी जन्य सामाग्रीको हकमा नम्बरी जग्गा बाट समेत निकाल्न पाईने छैन यदी निकालेको हकमा संबन्धित जग्गा धनीलाई एकमुष्ठ | १०००००।० | १०००००।० | प्रति पटक दोब्बर हुंदै जानेछ |

**निशुल्क सेवाहरु**

१. अपांगता सिफारिस र परिचय पत्र
२. अल्पसंख्यक लोपोन्मुख सिफारिस
३. जेहन्दार तथा छात्रवृत्ति सिफारिस
४. विपन्न सिफारिस
५. स्वास्थ्य सेवा उपचार सिफारीस
६. जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी सिफारिस
७. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र
८. परिवार ल्याएको लगेको सिफारिस
९. रिक्सा साइकल मर्मत व्यवसाय
१०. अनुसूची फाराम
११. अन्य निकायमा योजना संचालनको सिफारिस ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभाको मिति २०८२/०३/२० गतेको गाउँसभाको सत्रौं बैठकबाट गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधि, ऐन, २०७५ को दफा ३३ बमोजिम पेश भई पारित भएको विधेयक ४३ बमोजिम तयार गरी दफा ४४ बमोजिम प्रमाणितका लागि पेश गरेको छु ।

दस्तखत : ...............नाम, थर : श्री राज कुमार शाक्य पद : प्र.प्र.अ. मिति : २०८२/०३/२५

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभाको मिति २०८१/०३/२० गतेको गाउँसभाको सत्रौं बैठकबाट गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधि, ऐन, २०७५ को दफा ३३ बमोजिम पारित भई आएको विधेयक दफा ४३ बमोजिम पेश हुन आएको विधेयक दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित गरी उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आदेश गर्दछु ।

दस्तखत : ...........नाम, थर : श्री जितेन्द्र राई पद : अध्यक्ष मिति : २०८२/०३/३०

*सम्बत साल २०८२ को विधेयक संख्या- २*

# साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८२

**प्रस्तावना :**

साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८२" रहेको छ ।

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पारित भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार** : (१) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरु गर्न अनुसूची- १ बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमानबाट अनुसूची- २ बमोजिम  चालु खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको व्यय अनुमान प्राप्तिबाट अनुसूची- ३ पुजिगत खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(४) जम्मा रकम रु ५७,५०,०५,३०८/- मा नबढाई अनुसूचीमा निर्दिष्ट गरिएका शिर्षक तथा कार्यक्रमहरु बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।

३. **विनियोजनः** (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को निमित्त साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा गाउँ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम एक शिर्षकबाट सो शिर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । पूँजगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षक तर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्च तर्फ बिनियोजित रकम व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन । तर चालु तथा पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिने छ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँ सभाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

अनुसूची– १

(दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

**राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान**

| राजश्व संकेत | राजस्व शिर्षक | आ.व ०८०/०८१ को यथार्थ | आ.व. ०८१/०८२ को अनुमान | आ.व. ०८१/०८२ को संशोधित अनुमान | आ.व. ०८२/०८३ को अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|
| **१००००** | **राजस्व तथा अनुदान** | | | | |
| **११०००** | **कर** | | | | |
| **११३००** | **सम्पत्ति कर** | | | | |
| **११३१०** | **अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर** | | | | |
| ११३१३ | *सम्पत्ति कर* | ८५८५७ | १०००००० | ५००००० | ५००००० |
| ११३१४ | भूमी कर/मालपोत | ११३८५४० | २०००००० | ६००००० | ६००००० |
| ११३१५ | घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | २२००९२१ | २५००००० | १५००००० | १५००००० |
| **११३२०** | **खुद सम्पत्तिमा लाग्ने चालु कर** | | | | |
| ११३२१ | घर बहाल कर | ५८७५५८ | २०००००० | ७००००० | ७००००० |
| ११३२२ | बहाल बिटौरीकर | | | | |
| **११४००** | **वस्तु तथा सेवामा आधारित कर** | | | | ० |
| **११४१०** | **मुल्य अभिवृद्धि कर** | | | | ० |
| १४४११ | बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मु.अ.कर | ५३४०६५४२ | ६५८७३३३९ | ६५८७३३३९ | ६६४५८१४३ |
| **११४२०** | **अन्तःशुल्क** | | ० | ० | |
| १४४२१ | बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क | | २३९२६६६१ | २३९२६६६१ | २२१५२७१५ |
| **११४५०** | **पुर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर** | | ० | ० | |
| ११४५६ | बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ४०६६९०२ | ४२९६००० | ४२९६००० | ६१०८००० |
| **११४७०** | **मनोरंजन तथा विज्ञापन कर** | | | | |
| ११४७१ | बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर | | २०००००० | १०००००० | १०००००० |
| ११४७२ | बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर | | १५०००० | १५०००० | १५०००० |
| **११६००** | **अन्य कर** | | ० | ० | |
| **११६११** | **व्यवसायले भूक्तानी गर्ने** | | २५०००० | २५०००० | २५०००० |
| **११६३०** | **कृषि तथा पशुजन्य कारोवारमा लाग्ने कर** | | | | ० |
| ११६३२ | ओखेटोपहारमा लाग्ने कर ( जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर) | | | | ० |
| **११६९०** | **अन्य कर** | | | | ० |
| ११६९१ | अन्य कर | | १३३१०० | १३३१०० | १३३१०० |
| **१३०००** | **अनुदान** | | | | |
| **१३३००** | **अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **१३३१०** | **अन्तरसरकारी अनुदान** | | | | |
| १३३११ | समानीकरण अनुदान | ९१२३१००० | ९६३३८००० | ९६३३८००० | १००५९५००० |
| १३३१२ | शसर्त अनुदान चालु | २२२०८४१९३ | २४६२००००० | २४६३००००० | २६१५५५००० |
| १३३१३ | शसर्त अनुदान पूँजीगत | १४१८५६८२ | १९५००००० | १९५००००० | |
| १३३१४ | विषेश अनुदान चालु | | ० | ० | |
| १३३१५ | विषेश अनुदान पूँजीगत | ९४८६३९१ | ० | ० | ६९००००० |
| १३३१६ | समपुरक अनुदान चालु | | ० | ० | |
| १३३१७ | समपुरक अनुदान पूँजीगत | ८२२२३९७ | १५५००००० | १५५००००० | ३००००००० |
| **१४०००** | **अन्य राजश्व** | | | | |
| **१४१५०** | **भाडा तथा रोयल्टी** | | | | |
| १४१५१ | सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय | | | | |
| १४१५३ | बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी | | १२३९३७ | | ५०००० |
| १४१५७ | बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय | ५३३६७७१ | ८०००००० | ४०००००० | ४०००००० |
| १४१५८ | बाँडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी | | ० | ० | |
| १४१५९ | अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी | | २०००००० | | |
| **१४१९०** | **अन्य शुल्क** | | ० | ० | |
| १४१९१ | पर्यटन शुल्क | | ५०००००० | ५०००००० | २०००००० |
| **१४२००** | **बस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त रकम** | | | | |
| **१४२१०** | **बस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त रकम** | | | | |
| १४२१९ | अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री ( पार्क, एम्बुलेन्स आदि तथा बालुवा, माटो, काठ बिक्री समेत) | | १०००००० | ३००००० | ३००००० |
| **१४२२०** | **प्रशासनिक सेवा शुल्क** | | ० | ० | |
| १४२२१ | न्यायिक दस्तुर | | ० | ० | |
| १४२२४ | परीक्षा शुल्क | | १०००० | १०००० | १०००० |
| १४२२९ | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क ( बोलपत्र, फाराम विक्री) | | ० | १००००० | १२१००० |
| **१४२४०** | **दस्तुर** | | ० | ० | |
| १४२४१ | पार्किङ्ग शुल्क | १५५४८७० | ३०००००० | १५००००० | |
| १४२४२ | नक्सापास दस्तुर | | १०००००० | १००००० | १००००० |
| १४२४३ | सिफारिस दस्तुर (प्रमाणित समेत) | ७००४५४ | ७००००० | ७००००० | ७००००० |
| १४२४४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ३०५६५० | २००००० | २००००० | २००००० |
| १४२४५ | नाता प्रमाणित दस्तुर | १२५८५० | ५३२४०० | ५३२४०० | ५०००० |
| १४२४९ | अन्य दस्तुर (दर्ता, अनुमति, इजाजत) | १०६५० | १००००० | १००००० | १००००० |
| **१४२५०** | **अन्य प्रशासनिक दस्तुर** | | ० | ० | |
| १४२५३ | व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | | २००००० | १००००० | १००००० |
| १४२५४ | रेडियो/एफ.एम. संचालन दस्तुर | | ० | ० | |
| **१४२६०** | **अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क** | | ० | ० | ० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १४२६५ | अन्य क्षेत्रको आय (सामुदायीक वन पैदावर बिकी बाट) | | १0000 | १0000 | १0000 |
| **१४३00** | **दण्ड, जरिवाना र जफत** | | 0 | 0 | |
| **१४३१0** | **दण्ड, जरिवाना र जफत** | | 0 | 0 | |
| १४३११ | न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत | | 0 | 0 | ८0४६५ |
| १४३१२ | प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | | ६६५५0 | ६६५५0 | ६६५५0 |
| १४३१३ | धरौटी सदरस्याहा | | १00000 | ५0000 | ५0000 |
| **१४५00** | **विविध राजश्व** | | 0 | 0 | |
| **१४५१0** | **चालु दावी तथा अन्य शुल्कहरु** | | 0 | 0 | |
| १४५११ | वीमा दावी प्राप्ती | | 0 | 0 | |
| **१४५२0** | **अन्य राजस्व** | | 0 | 0 | |
| १४५२९ | अन्य राजस्व | ५९२३८४५ | १९६४१00 | १४६५१00 | ७४३0३५0 |
| **१४५३0** | **पूँजीगत राजस्व** | | 0 | 0 | |
| १४५३१ | सरकारी घर, जग्गा, गुडविल बिक्रीबाट प्राप्त आय | | 0 | 0 | |
| **१४६१0** | **व्यवसाय कर** | | 0 | 0 | |
| १४६११ | व्यवसाय कर | | ७५0000 | | |
| **१५११0** | **विविध प्राप्ती** | | 0 | 0 | |
| १५१११ | बेरुजु | २५१६९६ | १५00000 | १00000 | |
| | गतबर्षको मौजदात | ९९0९६७७३ | ५२१२0७0२ | ८६५६९१७१ | ६१२३६४५0 |
| | **जम्मा** | ५२000२५४२ | ५६00४४७८९ | ५७७४७0३२१ | ५७५00५३0८ |

अनुसूची– २

(दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

**प्रशासनिक व्ययको अनुमान**

| सि.न. | कार्यक्रमको नाम | अनुमानित बजेट |
|---|---|---|
| १ | पारिश्रमिक कर्मचारी-अस्थायी र स्थायी समेत | २५०१३८५८ |
| २ | पारिश्रमिक पदाधिकारी-पारिश्रमिक प्रदेश कानुन वमोजिम उपलव्ध गराइने पारिश्रमिक सुविधा एव वैठक भत्ता समेतको रकम समावेश हुने | ८५00000 |
| ३ | पोशाक-अस्थायी र स्थायी वडा समेत | ८५0000 |
| ४ | स्थानीय भत्ता-स्थायी र अस्थायी | ९00000 |
| ५ | महंगी भत्ता-स्थायी र अस्थायी वडा समेत | ५१00000 |
| ६ | फिल्ड भत्ता-प्राविधिक कर्मचारीहरु वडा र पालिकाकोलाइ उपलव्ध गराउने | ७00000 |
| ७ | कर्मचारीको बैठक भत्ता-कानुन वमोजिम स्थापना भएका विभिन्न समितिको वैठक भत्ता तथा अन्य विशेष प्रयोजनको भत्ता समेत | ४00000 |
| ८ | कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार-उत्कृष्ट कर्मचारीहरु छनौट तथा सम्मान कार्यको लागी | १५0000 |
| ९ | अन्य भत्ता-विभिन्न वैठक भत्ता लगायत अन्य प्रयोजनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाइ उपलव्ध गराउनुपर्ने भत्ता | २५0000 |
| १० | पदाधिकारी बैठक भत्ता-कर्मचारी समेत | २00000 |
| ११ | पदाधिकारीअन्य सुबिधा-सामाजिक सुरक्षा समेत सहायता समेत निर्णय वमोजिम खर्च हुने | ३00000 |
| १२ | कर्मचारी कल्याण कोष-रकम लैजाने प्रयोजनका लागी | २000000 |
| १३ | पानी तथा बिजुली | ७५0000 |
| १४ | संचार महसुल-इन्टरनेट महशुल तथा जडान खर्च समेत | ९00000 |
| १६ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)-कार्यालयका सवारी साधन बोलेरो र अन्य मोटरसाइकलहरु समेत साथै कार्यालयले अन्य प्रयोजनमा गर्ने इन्धन खर्च समेत समावेश हुने । | २000000 |
| १७ | इन्धन - कार्यालयका एम्बुलेन्स टयाक्टर र ब्याकहु लोडरको लागि हुने खर्च समेत | १५00000 |
| १८ | इन्धन - फोहोरमैला ब्यवस्थापनको लागि हुने खर्च | ७00000 |
| १९ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | ५00000 |
| २० | सवारी साधन मर्मत खर्च- कार्यालयका सवारि साधन वोलेरो, टयाक्टर र मोटरसाइकल मर्मत खर्च | २१00000 |
| २१ | सवारी साधन मर्मत खर्च - कार्यालयका एम्वुलेन्स र व्याकहो लोडर समेत मर्मत गर्ने | १000000 |

| | | |
|---|---|---|
| २२ | बिमा तथा नवीकरण खर्च-कार्यालयका सम्पूर्ण सवारी साधन | ८००००० |
| २३ | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | ६००००० |
| २४ | निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | ५००००० |
| २५ | अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च | ५००००० |
| २६ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री-छपाइ र खरिद सामग्री समेत | २५००००० |
| २७ | पुस्तक तथा सामग्री खर्च | ५००००० |
| २८ | इन्धन - अन्य प्रयोजन | २५०००० |
| २९ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च- सम्पूर्ण ठेक्काको लागी हुने सुचना समेत | २०००००० |
| ३० | अन्य कार्यालय संचालन खर्च | ५००००० |
| ३१ | सेवा र परामर्श खर्च | ५००००० |
| ३२ | सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | ३००००० |
| ३३ | करार सेवा शुल्क-गाउँपालिका मातहतका सम्पुर्ण शाखा एव वडा र कार्यालयमा कार्यरत हुने करारका कर्मचारि गाउँपालिकावाट श्रोत व्यहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य तर्फका करार कर्मचारी/नगर प्रहरी/रेडियोग्राफर/ल्याव टेक्निसियन/अन्य प्राविधिक कर्मचारी/सरसफाइ कर्मचारी वडा र पालिकाको समेत | १९८००००० |
| ३४ | सरसफाईसेवा शुल्क | २००००० |
| ३५ | अन्य सेवा शुल्क | ३००००० |
| ३६ | कर्मचारी तालिम खर्च | ५००००० |
| ३७ | सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | ३००००० |
| ३८ | विविध कार्यक्रम खर्च | १५००००० |
| ३९ | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च- अनुगमन मुल्याँकनमा जाँदा खर्च हुने खानावास र सवारी भाडा लगायतका खर्चहरु साथै अनुगमन भत्ता समेत समावेश हुने | ३००००० |
| ४० | भ्रमण खर्च-कर्मचारी र पदाधिकारी समेत | १२००००० |
| ४१ | विविध खर्च | ३५००००० |
| ४२ | सभा सञ्चालन खर्च | ५००००० |
| ४३ | शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता | ५००००० |
| ४४ | अन्य सस्था सहायता | २००००० |
| ४५ | अन्य सामाजिक सुरक्षा | ३००००० |
| ४६ | उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च | १०००००० |
| ४७ | अन्य सामाजिक सहायता | १००००० |
| ४८ | सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा | ५००००० |
| ४९ | अन्य भाडा | २००००० |
| ५० | अन्य फिर्ता- राजश्व तथा अन्य कार्यालय तर्फ | २५००००० |
| ५१ | मेशिनरी तथा औजार | १०००००० |
| ५२ | कार्यालयको लागी फर्निचर खरिद | १५००००० |
| | **पालिका तर्फ प्रशासनिक खर्च जम्मा** | **९८६६३८५८** |

**वडा तर्फ प्रशासनिक खर्च र शिर्षक**

| | | |
|---|---|---|
| १ | कर्मचारीको बैठक भत्ता | २४००० |
| २ | पदाधिकारी बैठक भत्ता | १२०००० |
| ३ | पानी तथा बिजुली | १५००० |
| ४ | संचार महसुल | १२००० |
| ५ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | ४५००० |
| ६ | सवारी साधन मर्मत खर्च | ३०००० |
| ७ | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | २४००० |
| ९ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ६०००० |
| १० | भ्रमण खर्च-कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि समेत | ४५००० |
| ११ | विविध खर्च | ४५००० |
| | जम्मा | ४२०००० |
| | जम्मा १० वटा वडाको लागि | **४२०००००** |
| | **कुल जम्मा पालिका+वडा** | **१०२८६३८५८** |

अनुसूची– ३

(दफा २ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

**विषयगत योजना तथा कार्यक्रम**

**कृषि विकास कार्यक्रम**

| क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | तरकारी बाली पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.१ |
| २ | मल्चिङ प्लाष्टिक प्रर्बद्धन/व्यवस्थापन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.२ |
| ३ | मिरमिरे नाम्फुङ थोक्पेला कृषि मल्चिङ प्लाष्टिक प्रर्बद्धन/व्यवस्थापन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.३ |
| ४ | तरकारी बीउविजन प्रर्बद्धन/व्यवस्थापन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.४ |
| ५ | तरकारी बीउविजन प्रर्बद्धन/व्यवस्थापन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.५ |
| ६ | तरकारी बीउविजन प्रर्बद्धन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.६ |
| ७ | मिनि टिलर व्यवस्थापन कार्यक्रम | ८०००० | वडा नं.७ |
| ८ | तरकारी बीउ प्रबर्द्धन/ब्यवस्थापन कार्यक्रम | १७०००० | |
| ९ | मकै विउ प्रर्बद्धन कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं.८ |
| १० | वाण्डे सिंचाई कुलो मर्मत कार्यक्रम | १५०००० | वडा नं.९ |
| ११ | प्लाष्टिक पोखरी निर्माणको लागि प्लाष्टिक पोखरी खरिद कार्यक्रम | १००००० | |
| १२ | अकबरे खुर्सानी वीउ/विरुवा प्रर्बद्धन कार्यक्रम | ५०००० | वडा नं.१० |
| १३ | कृषि महोत्सव तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम | २००००० | |
| १४ | आकस्मिक/आपतकालिन बाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | ४५०००० | कार्यालय |
| १५ | स्थानीय वीउ संरक्षण तथा प्रर्बद्धन कार्यक्रम | १००००० | सबै वडा |
| १६ | प्याकेजिङ्ग/ब्राण्डिङ्ग प्रर्बद्धन कार्यक्रम | २००००० | सबै वडा |
| १७ | माटो परिक्षण सामाग्री खरिद/व्यवस्थापन कार्यक्रम | ५०००० | कार्यालय |
| १८ | मिनिकीट निःशुल्क वितरण कार्यक्रम | ५०००० | कार्यालय |
| १९ | राष्ट्रिय धान दिवश कार्यक्रम | १००००० | कार्यालय |
| २० | कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम | १५०००० | कार्यालय |
| २१ | क्रप कटिङ्ग कार्यक्रम | ५०००० | कार्यालय |
| २२ | कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च | ५०००० | कार्यालय |
| **जम्मा** | | **३७०००००** | |

**पशुपन्छी विकास कार्यक्रम**

| क.सं. | कार्यक्रम | रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | पशु उपचार सामाग्री व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.१ |
| २ | पशु रोग औषधि व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.२ |
| ३ | पशु रोग औषधि व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.३ |
| ४ | बंगुर खोर व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.४ |
| ५ | बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.५ |
| ६ | लोकल कुखुराको चल्ला प्रर्बद्धन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.६ |
| ७ | पशु रोग औषधी व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.७ |
| ८ | पशु रोग औषधी व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.८ |
| ९ | पशु उपचार सामाग्री व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.९ |
| १० | पशु रोग औषधी व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं.१० |
| ११ | पशुपंक्षी औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | ६००००० | कार्यालय |
| १२ | रेविज दिवस शिविर कार्यक्रम | १००००० | कार्यालय |
| १३ | ए.आई.कृतिम गर्बधान सामाग्री खरिद/व्यवस्थापन कार्यक्रम | ५०००० | कार्यालय |
| १४ | आकस्मिक पशु रोग तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १५०००० | कार्यालय |
| १५ | लम्पी स्किन खोप व्यवस्थापन कार्यक्रम | ६०००० | कार्यालय |
| १६ | कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च | ४०००० | कार्यालय |
| | **जम्मा** | **२००००००** | |

**पर्यटन विकास कार्यक्रम**

| क.सं. | कार्यक्रम | रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | कार्तिक पुर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. १ |
| २ | १ नं. वडामा पर्यटन प्रर्बद्धन तथा प्रचार-प्रसार तथा कल्चरल फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. १ |
| ३ | चेग्राताल पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. २ |
| ४ | भाडालुङ पर्यटन पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. ३ |
| ५ | भेडेटार खाना महोत्सब कार्यक्रम | ३००००० | वडा नं. 6 |
| ६ | होम स्टे क्षमता अभिवृद्धि तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण | १००००० | वडा नं. ५ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७ | माघे सक्रान्ति मेला व्यवस्थापन कार्यक्रम | १५०००० | वडा नं. ६ नाम्जे |
| ८ | धारापानी स्थानीय खाना महोत्सव कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. ६ |
| ९ | नयाँ वर्ष (बैशाख-१) साँगितिक कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. ६ |
| १० | ढाङ्गढुङ्गे देवी माघे सक्रान्ति मेला व्यवस्थापन कार्यक्रम | १५०००० | वडा-७ छिनामचोक |
| ११ | साकेला नाँच पर्यटन महोत्सव कार्यक्रम | १५०००० | वडा नं. ८ |
| १२ | चाँदी बजार फागुपूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम | २५०००० | वडा नं. ९ |
| १३ | साकेन्वा पर्यटन मेला व्यवस्थापन कार्यक्रम | १००००० | वडा नं. १० |
| १४ | चुकथाला कैलाशडाँडा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम | १००००० | वडा न.४ |
| | **जम्मा** | **१९०००००** | |

सहकारी र वाणिज्य कार्यक्रम

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रम** | **रकम** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| १ | सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम | ३००००० | |
| २ | व्यापारीक केन्द्रहरुमा फोहर मैला व्यवस्थापन सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम | ३००००० | कार्किछाप, नमस्ते झरना, सिम्सुवा, घन्टेवेशी, फेदी लाभरबोटे, अन्य |
| | **जम्मा** | **६०००००** | |

शिक्षा विकास कार्यक्रम

| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | बजेट रकम |
|---|---|---|
| १ | iemis तालिम | २००००० |
| २ | स्थानिय पाठ्यपुस्तक छपाई (कक्षा १-५) | ५००००० |
| ३ | कक्षा ६-८ को स्थानिय पाठ्यपुस्क लेखन | ८००००० |
| ४ | वि.व्य.स अध्यक्ष, शि.अ.सं. अध्यक्ष र प्र.अ. क्षमता विकास तालिम | २५०००० |
| ५ | प्रअ बैठक तथा शिक्षा समितिको बैठक खर्च | १७०००० |
| ६ | विद्यालय अनुगमन | १५०००० |
| ७ | ग्रामिण जनता मा.वि.मा होटेल व्यवस्थापन छात्रवृत्ती अनुदान | ८०००० |
| ८ | प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी कार्यसाला | २००००० |
| ९ | कक्षा ८ को परिक्षा व्यवस्थापन | २००००० |
| १० | भानु मावि प्राविधीक धार छात्रवृत्ति | १५०००० |
| | जम्मा | २७००००० |

खेलकुद विकास कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| १ | महिला तथा पुरुष रनिङ शिल्ड भलिवल संचालन | ६००००० |
| २ | वडा स्तरिय ब्याडमिण्टन प्रतियोगिता | २५०००० |
| ३ | महिला तथा पुरुष रनिङ शिल्ड फुटबल संचालन | ९५०००० |
| ४ | पालिका स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता | २००००० |
| ५ | मार्सल आर्टस प्रशिक्षण तथा आवश्यक सामग्री खरिद | ५००००० |
| | जम्मा | २५००००० |

स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम

| क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम |
|---|---|---|
| १ | खोप क्लिनिक संचालन स्वास्थ्यकर्मी यातायात खर्च | ११०४०० |
| २ | गाउँघर क्लिनिक संचालन स्वास्थ्यकर्मी यातायात खर्च | १२०००० |
| ३ | गर्भवती जाँच UPT Kit खरिद | २०००० |
| ४ | टि.टि. तथा रेबिज भ्याक्सिन खरिद | ६०००० |
| ५ | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका यातायात खर्च | ७५६००० |
| ६ | दलित परिवार तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका स्वास्थ्य बिमा | ७५०००० |
| ७ | स्वास्थ्य संस्था व्यस्थापन खर्च | २४०००० |
| ८ | गर्भवती प्रोत्सहान खर्च (संस्थागत सुत्केरी) तथा पोषण खानेकुरा वितरण कार्यक्रम | ३७५००० |
| ९ | ल्याब तथा एक्सरेमा काम गर्ने करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम | ७२००० |
| १० | औषधि खरिद | २०००००० |
| ११ | दिर्घ रोगी उपचार सामग्री | ४४६०० |
| १२ | स्वास्थ्य शिविर | १००००० |
| १३ | भेडेटार स्वास्थ्य चौकी को लागी सुलभ मुल्य फार्मेशी ब्यबस्थापन | १००००० |
| १४ | बुढिमोरङ्ग स्वास्थ्य चौकीमा टेलिमेडिसिन संचालन | ५२००० |
|  | **जम्मा** | **४८०००००** |

## लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रम** | **रकम** |
|---|---|---|
| **१** | **महिला तथा बालबालिका** | |
| १.१ | बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम | १३००००० |
| १.२ | लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिला दिवस कार्यक्रम | १५०००० |
| १.३ | बालविवाह, बहुविवाह, बालश्रम, लागुपदार्थ दुर्ब्यसनी, बाल अपराध सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम | ७५००० |
| **२** | **जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम** | |
| २.१ | जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जाँच | २००००० |
| २.२ | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | २५०००० |
| **३** | **अपाङ्गता तथा अल्प संख्यक** | |
| ३.१ | अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम | १००००० |
| ३.२ | अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थार्पना कार्यक्रम | ६००००० |
| ४ | **दलित लक्षित** | |
| ४.१ | कर्कटपाता खरिद तथा बितरण (वडा नं. १) | २००००० |
| | **जम्मा** | २८७५००० |

## भौतिक पुर्वाधार

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रम** | **वडा नं.** | **रकम** |
|---|---|---|---|
| १ | दुर्गा चोक सालबोटे दानाबारी शाखा सडक | १ | १०००००० |
| २ | सुलीकोट कालोपानी शाखा सडक | १ | ४००००० |
| ३ | जोगेपथर घुमाउने सडक | १ | २००००० |
| ४ | गैरीगाँउ शाखा सडक | २ | ३००००० |
| ५ | कम्भुवा खोला खानेपानी लिफ्टिङ्ग जाने सडक निर्माण | २ | १५०००० |
| ६ | मन्डु चोक देखि चिउरीबोटे सडक | २ | ४००००० |
| ७ | सिंसोरो सार्वजनिक शौचालय निर्माण | २ | ३००००० |
| ८ | बुढीमोरँग बर्थिंग कोठा निर्माण | २ | ३००००० |
| ९ | लुङमाहिम चोक देखि पुर्ण चोक हुदै फाक्सिब सिमानासम्म ड्रेन निर्माण | २ | १५०००० |
| १० | जलकन्या मा.वि. भवन निर्माण | ३ | १०००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ११ | कर्वड हल निर्माण | ३ | ६००००० |
| १२ | त्रिवेणी टहरो निर्माण | ४ | ३००००० |
| १३ | चिलाउने बोटे कुवापानी सडक | ४ | ३००००० |
| १४ | ज्यामिरे सडक ग्याविन | ४ | ३००००० |
| १५ | सिद्दिबुङ्ग तिनधारे सडक | ४ | ३००००० |
| १६ | जल्पादेवी शौचालय निर्माण | ४ | ३००००० |
| १७ | याक्सेरुङ सडक | ४ | १००००० |
| १८ | रेडक्रस गेट निर्माण | ५ | १००००० |
| १९ | लुम्फाजुङ्ग सडक | ५ | ४००००० |
| २० | पैरि सिडि निर्माण | ५ | ५००००० |
| २१ | ओखे मलामी घर ट्रस निर्माण | ५ | ३००००० |
| २२ | वेगना कृषि भवन मर्मत | ५ | २००००० |
| २३ | लाप्चेटार सडक | ५ | १००००० |
| २४ | मुक्तेन सडक | ६ | ८००००० |
| २५ | सिम्सुवा ओलनटार गुर्धुम ढोडे जिमिगाँउ सडक | ६ | ८००००० |
| २६ | सिम्सुवा खेल मैदान व्यवस्थापन कार्यक्रम | ६ | २००००० |
| २७ | गोलखाडी वडा कार्यालय सडक | ७ | ५५०००० |
| २८ | ७ नं. वडा कार्यालय घेराबारा | ७ | ४००००० |
| २९ | फेदी गर्जुवा सिस्ने सडकवत्ति जडान | ७ | ४२५००० |
| ३० | लेकवाला खानेपानी निर्माण | ७ | २२५००० |
| ३१ | खुडी तातोपानी चिम्राहा पुल सडक निर्माण | ८ | २००००० |
| ३२ | तातोपानी तरिटोल खानेपानी निर्माण | ८ | २००००० |
| ३३ | हिलट्यांकी खरिद तथा बितरण | ८ | ८५००० |
| ३४ | लुखा केराबारी सडक | ८ | ५००००० |
| ३५ | ढुंगे सिंकुला रिङरोड सडक | ८ | ४००००० |
| ३६ | सृजनशिल युवा क्लव खेलमैदान | ८ | ३००००० |
| ३७ | रोजगार कार्यक्रम साझेदारी कार्यक्रम | ८ | २००००० |
| ३८ | रोजगार कार्यक्रम साझेदारी कार्यक्रम | ९ | ३००००० |
| ३९ | चाँदी बजार थाप्चुवा सडक | ९ | ५००००० |
| ४० | चाँदी बजार चौर निर्माण | ९ | ८००००० |
| ४१ | १० नं. वडा कार्यालय ट्रस तथा वाल निर्माण | १० | १६००००० |
| | **जम्मा** | | १६४८५००० |

## सुशासन तथा संस्थागत विकास

| क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम |
|---|---|---|
| १ | उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम | ३००००० |
| २ | सुरक्षा निकायहरुको व्यवस्थापन | ४००००० |
| ३ | जनप्रतिनिधि क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम | ३००००० |
| ४ | फोटोग्राफी फोटो कन्चर पत्रकारिता तालिम, वडा नं. १ | ३००००० |
| ५ | सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम | ३००००० |
| ६ | भेडेटार ईलाका प्रहरी कार्यालय व्यवस्थापन | १००००० |
| ७ | बजार अनुगमन व्यवस्थापन | २००००० |
| ८ | न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यक्रम | ३००००० |
| ९ | ई हाजिरी जडान, सामुदायिक विद्यालय | ६००००० |
| १० | कम्प्युटर, व्याक व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं. ८ | २००००० |
| | **जम्मा** | **३००००००** |

पालिकास्तरीय अन्य कार्यक्रम तथा योजनाहरु (१)

| क्र.सं. | कार्यक्रम | वडा नं. | रकम |
|---|---|---|---|
| | **चालु तर्फ** | | |
| १ | सिता मा.वि. स्कुल बस खरिद अनुदान | ४ | ५००००० |
| २ | ग्रामिण जनता मा.वि. होटल व्यवस्थापन अनुदान | ६ | ५००००० |
| ३ | साँगुरीगढी डाडाबजार गोल्ड कप | ५ | ७००००० |
| ४ | टपरी बनाउने मेशिन तथा तालिम | ९ | ४००००० |
| ५ | लाहा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ३ | ३००००० |
| ६ | आदिबासी जनजाति कार्यक्रम | | ८००००० |
| ७ | पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम | | ५००००० |
| ८ | अध्यक्ष ग्रासरुट कार्यक्रम | | ३००००० |
| ९ | भेडेटार फुड फेस्टिबल | ६ | ३००००० |
| १० | मौरी पालन तालिम तथा घार वितरण | ८ | ४००००० |
| ११ | राम मा.वि. व्यवस्थापन | ४ | ३००००० |
| १२ | आहाले कुसेटार होमस्टे तालिम | 3, 9 | ५००००० |
| १३ | पर्यटन प्रवर्द्धन ब्रोसियर छपाई | | २००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १४ | अन्य खेलकुद | | ७००००० |
| १५ | बुढीमोरंग फुटबल प्रतियोगिता | | ३००००० |
| १६ | प्रमुखको निर्णय बमोजिम खर्च गर्ने | | १०००००० |
| १७ | लगानी सम्मेलन | | १०००००० |
| १८ | स्वयंसेविका अन्तरपालिका भ्रमण | | २००००० |
| १९ | राजश्व शाखा व्यवस्थापन | | १००००० |
| २० | अन्तरपालिका स्तरीय न्याय सम्पादन अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम | | ५००००० |
| २१ | मेडपा साझेदारी कार्यक्रम | | ३५०००० |
| २२ | आर्थिक सर्वेक्षण | | ५००००० |
| २३ | सितारियो करात म्याट खरिद | | ३००००० |
| २४ | दलित लक्षित कार्यक्रम | | ३००००० |
| २५ | महिला आयआर्जन कार्यक्रम | | ४००००० |
| २६ | भानु मा.वि. विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापन | | ३००००० |
| २७ | शिवरात्री फुटबल प्रतियोगिता | १ | २००००० |
| २८ | तातोपानी फुटबल प्रतियोगिता | ८ | २००००० |
| २९ | खुवाफोक गोल्डकप | ३ | २००००० |
| ३० | सरस्वती फुटबल प्रतियोगिता कुशेटार | ३ | १००००० |
| ३१ | मादेन फुटबल प्रतियोगिता | ३ | १५०००० |
| ३२ | सांकेतिक भाषा तालिम | | २००००० |
| ३३ | सागुरीगढी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक स्थलहरुको सास्कृतिक अध्ययन | | ५००००० |
| ३४ | किरात यायोक्खा साकेला सास्कृतिक कार्यक्रम भेडेटार | | २००००० |
| | **जम्मा** | | **१३४००००० ** |
| | **पुजिगत तर्फ** | | |
| १ | भेडेटार कबर्डहल | ६ | ३०००००० |
| २ | भेडेटार नमस्ते झरना | ६ | १०००००० |
| ३ | खुवाफोक कबर्डहल | ३ | १०००००० |
| ४ | सिंकुल कृषि संकलन केन्द्र निर्माण | ८ | ८००००० |
| ५ | खुडी सिरान टोल खानेपानी ट्यांकी निर्माण | ८ | ३००००० |
| ६ | सानो घंघरु पुनौटे सडक | १० | ७००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७ | लुंगाबारी सडक निर्माण | २ | ५००००० |
| ८ | साप्तेन खानेपानी पाइप खरीद | ३ | ३००००० |
| ९ | बुढीमोरंग बर्थिंग कोठा निर्माण | २ | ८००००० |
| १० | भेडेटार सुचना केन्द्र निर्माण | ६ | ३००००० |
| ११ | फाक्सिव खेल मैदान स्तरोन्नती | ४ | ५००००० |
| १२ | जोगेन आमा समुह भवन निर्माण | १ | ५००००० |
| १३ | सानो सफाई सामुदायिक भवन | ९ | ५००००० |
| १४ | भेडेटार रिंगरोड (पटपटे) | ६ | ५००००० |
| १५ | माक्सुहुट खानेपानी निर्माण | १० | ३००००० |
| १६ | किम्दांग सामुदायिक भवन | ९ | ३००००० |
| १७ | गैरीटोल सडक ढलान तथा नाली निर्माण | ६ | ७००००० |
| १८ | गोलखाडी खेल मैदान र्मिाण | ७ | ५००००० |
| १९ | हुक्काबास सिचाई ट्यांकी निर्माण | ७ | ३००००० |
| २० | खोंजजाली व्याकुला सडक निर्माण | ७ | २००००० |
| २१ | तिनधारे खानेपानी | १० | ३००००० |
| २२ | खाम्चेहांगसिंह चौक सडक | ७ | ५००००० |
| २३ | सुलिकोट ग्रामीण सडक | १ | ५००००० |
| २४ | राइटोल वनपाला स्तरोन्नती | ४ | ५००००० |
| २५ | चादी बजार हर्दिया दिलुंगटार सडक | ९ | १०००००० |
| २६ | भारतांग स्वास्थ्य आधारभुत भवन | १० | २०००००० |
| २७ | लावरबोटे चनौटे बजार निर्माण | १ | ५००००० |
| २८ | भगवती प्रा.वि. तटबन्धन | ६ | २००००० |
| २९ | कवर्ड हल निर्माण | ९ | १५००००० |
| ३० | शुभलक्ष्मी महिला भवन निर्माण | ९ | १०००००० |
| ३१ | सिम्ले खोरसै सडक | १ | १०००००० |
| ३२ | बराहलक्ष्मी प्रा.वि. फर्निचर | १० | २००००० |
| ३३ | लुक्खा सामुदायिक भवन | ८ | ५००००० |
| ३४ | धर्ति महिला समुह घेराबारा | ३ | ३००००० |
| ३५ | संकमा त्रिवेणी सडक | १० | २००००० |
| ३६ | साइरेनी चर्चको भवन मर्मत तथा निर्माण | ५ | १५०००० |
| ३७ | भानुभक्त आ.वि. शौचालय | ३ | ५००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३८ | महाभारत प्रा.वि. शौचालय मर्मत | ६ | २००००० |
| ३९ | सामुदायिक भवन ढुंगे | ८ | ४००००० |
| ४० | सिंहकाली मा.वि. घेराबारा | ९ | ५००००० |
| ४१ | गाउँपालिकाको कार्यालय रंगरोगन तथा मर्मत | ६ | १०००००० |
| ४२ | दानावारी खेल मैदान निर्माण | २ | ५००००० |
| ४३ | लामेडाँडा समुह घर निर्माण | ५ | २५०००० |
| ४४ | खेलकुद प्रतियोगिता, डाँडाबजार | ५ | १५०००० |
| ४५ | डबल सिंह पार्क निर्माण | ५ | २००००० |
| ४६ | शेर्मा प्राथमिक विद्यालय घेराबेरा | ४ | २००००० |
| ४७ | डाँडा बजार कबर्ड हल | ५ | १५००००० |
| ४८ | छाप्रे सिचाई पोखरी | ३ | ३००००० |
| ४९ | भुल्के धारापानी खानेपानी तार घेराबेरा | १० | १५०००० |
| ५० | केराबारी खानेपानी ट्यांकी निर्माण | ८ | ३००००० |
| ५१ | छिनाम चोक खानेपानी ट्यांकी निर्माण | ७ | ३००००० |
| ५२ | नाम्जे पार्किंग स्थल निर्माण | ६ | ३००००० |
| | **जम्मा** | | **३०१०००००** |
| | **कुल जम्मा** | | **४३५०००००** |

पालिकास्तरीय अन्य कार्यक्रम तथा योजनाहरु (२)

| **क.सं.** | **कार्यक्रम** | **वडा नं.** | **रकम** |
|---|---|---|---|
| | चालु खर्च | | |
| १ | होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धन | १ | ४००००० |
| २ | ग्रासरुट खेलकुद तालिम | १ | २००००० |
| ३ | अवलोकन भ्रमण | १ | २००००० |
| ४ | कुसेटार खेलकुद कार्यक्रम | ३ | १००००० |
| ५ | दलित लक्षित कार्यक्रम | ३ | १००००० |
| ६ | तरकारी बाली विउविजन वितरण | ४ | ४००००० |
| ७ | भानु मा.वि. छात्रावास व्यवस्थापन | ५ | ४००००० |
| ८ | मुक्तेन चर्च व्यवस्थापन | ६ | १००००० |
| ९ | जिमीगाउँ भलिबल प्रतियोगिता | ६ | १००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १० | भेडेटार व्याडमिन्टन प्रतियोगिता | ६ | १५०००० |
| ११ | सिम्सुवा खेलकुद कार्यक्रम | ६ | १००००० |
| १२ | नाम्जे खेलकुद विकास कार्यक्रम | ६ | २००००० |
| १३ | सुर्योदय बौद्ध विहार (वाइरिंग र प्लम्बिङ्ग) | ६ | १००००० |
| १४ | तरकारी तथा मसलावाली विउविजन व्यवस्थापन ( ओलन्टार, गुर्म्म, ढोडेनी) | ६ | १००००० |
| १५ | लालीगुराँस सामुदायिक संस्था भवन व्यवस्थापन | ६ | ५०००० |
| १६ | सिंहदेवी तरकारी विउविजन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ( थुम्की, कोल्बोटे, जिमीगाउँ) | ६ | २००००० |
| १७ | जनप्रतिनिधि कर्मचारी अवलोकन भ्रमण | ७ | १००००० |
| १८ | सामुदायिक वन व्यवस्थापन तालिम | ७ | ५०००० |
| १९ | ढुंगे युवा समाज सामाग्री व्यवस्थापन | ८ | १००००० |
| २० | ढालुङ्गटार पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ८ | १००००० |
| २१ | श्री सरस्वती आ.वि. नेट तार जडान | १० | ५०००० |
| | | | ३३०००००० |
| | **पुजिगत खर्च** | | |
| १ | जस्तापाता खरिद तथा वितरण | १ | ४००००० |
| २ | कोशेली घर तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण | १ | ८००००० |
| ३ | माङ्गदाङ्गवा कवर्ड हल सालघारी वन रातमाटे समाधीस्थल सडक निर्माण | २ | १३००००० |
| ४ | दुर्गा चौक दानावारी सडक स्तरोन्नती | २ | ७००००० |
| ५ | साप्तेन चर्च शौचालय निर्माण | ३ | २००००० |
| ६ | डुम्रे सामुदायिक भवन निर्माण | ३ | ३००००० |
| ७ | मादेन रगुवा सडक निर्माण | ३ | ६००००० |
| ८ | जनसेवा प्रा.वि. घेराबेरा | ३ | १५०००० |
| ९ | मिदुवा खुवाफोक खानेपानी योजना | ३ | १५०००० |
| १० | साप्तेन बन्चेटार सामुदायिक भवन निर्माण | ३ | ४००००० |
| ११ | मरोङ्गहाङ्ग चौक वडा कार्यालय पक्कि ड्रेन निर्माण | ४ | ७००००० |
| १२ | जस्तापाता र पाइप खरिद | ४ | ३००००० |
| १३ | कदायाक्ना विश्रामलय निर्माण | ४ | १००००० |
| १४ | तिनतले लेउती सडक निर्माण | ४ | ५००००० |
| १५ | रुद्र प्रा.वि. खेल मैदान र शौचालय निर्माण | ५ | ४००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १६ | मानेडाँडा कृषि भवन मर्मत | ५ | १५०००० |
| १७ | डाँडाबजार लाप्चेटार सडक | ५ | ५००००० |
| १८ | डाँडाबजार सामुदायिक खानेपानी योजना | ५ | ४००००० |
| १९ | ज्यामिरे आरुबोटे सडक | ५ | १५०००० |
| २० | एक्लेटार खानेपानी ट्यांकी निर्माण | ६ | २००००० |
| २१ | पाथिभरा मन्दिर डि.पि.आर. निर्माण | ६ | ३००००० |
| २२ | मालबासे सामुदायिक भवन फर्निचर व्यवस्थापन | ६ | १००००० |
| २३ | धारापानी सामुदायिक भवन फर्निचर व्यवस्थापन | ६ | १००००० |
| २४ | वेलवोटे खानेपानी योजना | ६ | ५०००० |
| २५ | मनकामना सामुदायिक संस्था फर्निचर व्यवस्थापन | ६ | १००००० |
| २६ | गैरीटोल सामुदायिक संस्था फर्निचर व्यवस्थापन | ६ | ५०००० |
| २७ | वेफवुला रामगुवा सडक निर्माण | ७ | ३५०००० |
| २८ | माखावा खोला तटबन्ध निर्माण | ७ | २००००० |
| २९ | खाक्चीराङ्ग डढुवा सडक | ७ | ६००००० |
| ३० | जस्तापाता खरिद तथा वितरण | ७ | १५०००० |
| ३१ | खानेपानी पाइप खरिद | ७ | १००००० |
| ३२ | सिस्ने टप्पु यलम्बर पहुच मार्ग निर्माण | ७ | ४५०००० |
| ३३ | ढुंगे वडा कार्यालय सडक | ८ | ६००००० |
| ३४ | केरावारी दोभान रामगुवा सडक | ८ | ६००००० |
| ३५ | खुंडी तातोपानी चिम्राहा पुल सडक | ८ | ६००००० |
| ३६ | शुभलक्ष्मी सामुदायिक भवन निर्माण | ९ | ६००००० |
| ३७ | चाँदीबजार थाप्चुवा सडक | ९ | ५००००० |
| ३८ | लेमलेम्मा खोला विश्रामलय निर्माण | ९ | २००००० |
| ३९ | दिलुङ्गटार तमोर विश्रामलय निर्माण | ९ | ३००००० |
| ४० | सानो सफाई थानी घेराबेरा | ९ | १००००० |
| ४१ | सालुम गैरीटोल सामुदायिक भवन निर्माण | ९ | ३००००० |
| ४२ | धारापानी सामुदायिक भवन निर्माण | १० | ५००००० |
| ४३ | घँघरु सामुदायिक भवन निर्माण | १० | ३००००० |
| ४४ | सांकामा सडक मेशिनरी वाल निर्माण | १० | २५०००० |
| ४५ | लालीगुराँस , मदरलैण्ड सामुदायिक भवन | १० | २००००० |
| ४६ | तांकेरा माझगाउँ सडक | १० | १००००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४७ | खानेपानी पाइप खरिद | १० | २००००० |
| ४८ | रोक्टोहुट भारताङ्ग खलेखा सडक ह्युमपाइप | १० | १५०००० |
| ४९ | कटहरे सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण | १० | १५०००० |
| ५० | सिवोले सुभाराटोल सडक निर्माण | १० | १००००० |
| | जम्मा | | १६७००००० |
| | कुल जम्मा | | २०००००००० |

अनुसूची– २ ग

(दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

**अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण - संघीय सरकार**

| क.स. | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | क्षेत्र/उपक्षेत्र | बिनियोजित बजेट |
|---|---|---|---|
| १ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | शिक्षा | ५८१०००. |
| २ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | शिक्षा | ३,८८५,०००.०० |
| ३ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | शिक्षा | १,१७३,०००.०० |
| ४ | CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण) | स्वास्थ्य | १०००००. |
| ५ | आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी र स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण तथा क्षयरोग कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा कोहर्ट विश्लेषण | स्वास्थ्य | ९५०००. |
| ६ | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद | स्वास्थ्य | १,०९२,०००.०० |
| ७ | आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत) | शिक्षा | १२४३००००० |
| ८ | आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | ९५०००. |
| ९ | आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | १९२०००. |
| १० | आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | ६३६०००. |
| ११ | आन्तरीक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई उध्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | १०००००. |
| १२ | उद्यम विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक (एकमुष्ट) | उद्योग | ८५४०००. |
| १३ | एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पोशाक भत्ता | तथ्यांक प्रणाली | २००००. |
| १४ | कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम | कृषि | ५००००. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५ | क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम र पि.बि.सि बिरामीका घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण | स्वास्थ्य | १०५०००. |
| १६ | कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलव भत्ता | कृषि | ८८५०००. |
| १७ | कृषि स्नातक करार | कृषि | ५२५०००. |
| १८ | कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम | कृषि | ६५०००. |
| १९ | किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा | स्वास्थ्य | ९७०००. |
| २० | किसान सूचीकरण कार्यक्रम | कृषि | ५००००. |
| २१ | गरिबसँग विश्ववेश्वर कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च | गरिबी निवारण | ३०००००. |
| २२ | गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालको पोशाक खर्च | गरिबी निवारण | २००००. |
| २३ | गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको पारिश्रमिक | गरिबी निवारण | ३६००००. |
| २४ | गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको मसलन्द खर्च | गरिबी निवारण | २००००. |
| २५ | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम) | उद्योग | ७००००. |
| २६ | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने | उद्योग | ३३६०००. |
| २७ | जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धि पैरवी तथा अभिमुखिकरण, Rabies Day | स्वास्थ्य | २००००. |
| २८ | डेंगी, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने, बिद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक परिचालन तथा सरोकारवालाहरूको अभिमुखिकरण | स्वास्थ्य | ५५०००. |
| २९ | धनकुटा जिल्ला साँघुरिगढी गाँउपालिका वडा नं ६ गोलखाडी किराँत राई बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार स्तरोन्नति कार्य | भवन, आवास तथा सहरी विकास | ४,०००,०००.०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३० | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा अभियान | स्वास्थ्य | ५०००००. |
| ३१ | नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवम् अर्धबार्षिक र बार्षिक समिक्षा | स्वास्थ्य | २०००००. |
| ३२ | प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा | स्वास्थ्य | १६६०००. |
| ३३ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान | शिक्षा | १,१५८,०००.०० |
| ३४ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान | शिक्षा | १७३०००. |
| ३५ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान | शिक्षा | ३५००००. |
| ३६ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | शिक्षा | ३,५४०,०००.०० |
| ३७ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | शिक्षा | ११,८३८,०००.०० |
| ३८ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | शिक्षा | १,७९४,०००.०० |
| ३९ | परिवार योजना सेवा | स्वास्थ्य | ४५०००. |
| ४० | पशुपन्छिमा महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम | कृषि | ५००००. |
| ४१ | पोषण कार्यक्रम | स्वास्थ्य | ४७९०००. |
| ४२ | पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | ३०००००. |
| ४३ | म स्वास्थ्य मेरो सामुदाय स्वास्थ्य घरटोलमा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम | स्वास्थ्य | ४६००००. |
| ४४ | मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजार दरले उपलब्ध गराइने रकम | स्वास्थ्य | २,५४०,०००.०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४५ | महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण | स्वास्थ्य | २५000. |
| ४६ | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | २९८000. |
| ४७ | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | ६0१000. |
| ४८ | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | शिक्षा | १,९९१,000.00 |
| ४९ | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत) | शिक्षा | २९,३00,000.00 |
| ५० | मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आत्माहत्या रोकथाम सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम | स्वास्थ्य | ५0000. |
| ५१ | रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम | कृषि | ६७५000. |
| ५२ | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोसाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च) | स्वास्थ्य | १,४00,000.00 |
| ५३ | रोजगार आयोजना सञ्चालनको लागि ज्याला रकम (क्रियाकलाप कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले कम्तीमा शतप्रतिशत रकम साझेदारी गर्नुपर्नेछ।) | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | २,४७२,000.00 |
| ५४ | रोजगार संयोजकको तलव | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | ५६८000. |
| ५५ | रोजगार संयोजकको पोसाक | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | १0000. |
| ५६ | रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन खर्च (मसलन्द, अनुगमन/ईन्धन, रोजगारीमा खटिनु पूर्व अभिमुखिकरण, अन्य विविध खर्च) | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | १00000. |
| ५७ | रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | २५000. |
| ५८ | ल्याण्डफिल साइट निर्माण, साँगुरीगढी गाउँपालिका-६,भेडेटार, धनकुटा। | कृषि | ६,९00,000.00 |
| ५९ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | शिक्षा | ३७४000. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ६० | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | शिक्षा | २,५०५,०००.०० |
| ६१ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | शिक्षा | ७५६०००. |
| ६२ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | शिक्षा | ५२००००. |
| ६३ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | शिक्षा | १,७२२,०००.०० |
| ६४ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | शिक्षा | २५८०००. |
| ६५ | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिकालागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति | शिक्षा | १००००. |
| ६६ | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिकालागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति | शिक्षा | ३३०००. |
| ६७ | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिकालागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति | शिक्षा | ५०००. |
| ६८ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | शिक्षा | २३२०००. |
| ६९ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | शिक्षा | १,५५०,०००. |
| ७० | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | शिक्षा | ४६८०००. |
| ७१ | शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण | शिक्षा | २५५०००. |
| ७२ | शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण | शिक्षा | ८४७०००. |
| ७३ | शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण | शिक्षा | १२६०००. |
| ७४ | श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | २५०००. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७५ | स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम | स्वास्थ्य | ६०००००. |
| ७६ | स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन | स्वास्थ्य | १,१९०,०००. |
| ७७ | स्थानीय तहका MIS Operator को लागत साझेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक बापतको रकम (बाँकी ६ महिनाको सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने) | तथ्यांक प्रणाली | २४९०००. |
| ७८ | स्थानीय तहका फिल्ड सहायकको लागत साझेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक बापतको रकम (बाँकी ६ महिनाको सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने) | तथ्यांक प्रणाली | २३१०००. |
| ७९ | स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा आयुर्वेद औषधालयहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको तलव, महगी भत्ता र पोषाक भत्ता | स्वास्थ्य | ३७,२००,०००. |
| ८० | स्थानीय तहको साझेदारीमा नियमित खोप सुदृढीकरण, नियमित खोपमा विद्यालय केन्द्रित खोप अभियान सञ्चालन, सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम निरन्तरता, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको खोजपड्ताल तथा निगरानी, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दिगोपनाका लागि व्यवस्थापन खर्च | स्वास्थ्य | ७२३०००. |
| ८१ | समुदाय स्तरमा नसर्ने रोग सम्बन्धि स्क्रिनिङ्ग (फागुन महिना) तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन | स्वास्थ्य | १५००००. |
| ८२ | सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रबिधि हस्तान्तरण | उद्योग | १४००००. |
| ८३ | सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- धनकुटा जिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत साँगुरीगढी गाउँपालिका- ११५३ वटा (स्वीकृत आवास संख्या अनुसार आ.व. २०८१/०८२ सम्म सम्झौता भएका लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न ) | भवन, आवास तथा सहरी विकास | १,५००,०००. |
| ८४ | स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम ( अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृधिकरण समेत ) | स्वास्थ्य | १०८०००. |
| ८५ | स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम पालिकाको Geo-referenced Water Supply, Sanitation and Hygiene(WASH) plan बनाउने कार्य | संचार तथा सूचना प्रबिधि | ५०००००. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८६ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | शिक्षा | १६८०००. |
| ८७ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | शिक्षा | ८३०००. |
| ८८ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | शिक्षा | ५५५०००. |
| ८९ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत) | शिक्षा | १,४५९,०००. |
| ९० | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत) | शिक्षा | २१८०००. |
| ९१ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत) | शिक्षा | ४४००००. |
| ९२ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | शिक्षा | ६३०००. |
| ९३ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | शिक्षा | १२७०००. |
| ९४ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | शिक्षा | ४२१०००. |
| ९५ | डाँडाबजार याक्चना सडक | पुर्वाधार | १०५००००० |
| ९६ | डाँडाबजार याक्चना सडक | पुर्वाधार | ९५००००० |
| | जम्मा | | २८३९००००० |

(दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

**अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण - प्रदेश सरकार**

| क्र.स. | योजना/कार्यक्रमको नाम | खर्च शिर्षक | रकम रु. | क्षेत्र/उपक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्राङ्गगारिक खेति प्रबर्धनका लागि प्राङ्गगारिक/जैविक/जिवाणु मल प्रयोगमा प्रोत्साहन | शसर्त अनुदान चालु | १०००००० | आर्थिक/कृषि |
| २ | पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन | शसर्त अनुदान चालु | १२५००० | आर्थिक/पशु |
| ३ | गोठ तथा भकारो सुधार कार्यक्रम, वडा नं.४ | शसर्त अनुदान चालु | १०००००० | आर्थिक/पशु |
| ४ | बंगुर विकास कार्यक्रम, वडा नं.9 | शसर्त अनुदान चालु | ६५०००० | आर्थिक/पशु |
| ५ | बाखापालन प्रबद्धन कार्यक्रम, वडा नं.10 | शसर्त अनुदान चालु | ६००००० | आर्थिक/पशु |
| ६ | अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम | शसर्त अनुदान चालु | १८०००० | सामाजिक/अपाङ्गता |
| ७ | कविर आत्मज्ञान सत्सङ्ग पुर्वाधार निर्माण वडा नं. ८ | शसर्त अनुदान पुजिगत | ५००००० | पुर्वाधार |
| ८ | हर्दिया खेलमैदान निर्माण सागुरीगढी गा.पा. ९ धनकुटा | शसर्त अनुदान पुजिगत | ५००००० | पुर्वाधार |
| ९ | कोलबोटे धारापानी गोलखाडी कोरीडोर सडक | समपुरक अनुदान | ६०००००० | पुर्वाधार |
| १० | मोहनचोक फाक्सिब बुडीमोरङ्ग दानाबारी काबेली सडक | समपुरक अनुदान | ४०००००० | पुर्वाधार |
| | जम्मा | | १४५५५००० | |

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभाको मिति २०८२/०३/२० गतेको गाउँसभाको सत्रौं अधिवेशनको दोश्रो बैठकबाट गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधि, ऐन, २०७५ को दफा ३३ बमोजिम पेश भई पारित भएको विधेयक ४३ बमोजिम तयार गरी दफा ४४ बमोजिम प्रमाणितका लागि पेश गरेको छु।

दस्तखत : …………नाम, थर : श्री राज कुमार शाक्य पद : प्र.प्र.अ. मिति : २०८२/०३/२५

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभाको मिति २०८२/०३/२० गतेको गाउँसभाको सत्रौं अधिवेशनको दोश्रो बैठकबाट गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधि, ऐन, २०७५ को दफा ३३ बमोजिम पारित भई आएको विधेयक दफा ४३ बमोजिम पेश हुन आएको विधेयक दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित गरी उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आदेश गर्दछु।

दस्तखत : ………………नाम, थर : श्री जितेन्द्र राई पद : अध्यक्ष मिति : २०८२/०३/३०